is still the only medium for being educated, entertained and informed.

The External Services Division (ESD) is one of the very important and sensitive Services of AIR. This Service acts as a bridge between India and the world. The ESD has adopted sixteen foreign and eight Indian languages for airing different news, cultural and sports-based programmes for the overseas listeners. This Division caters to the Indians settled abroad. The primary object of ESD is to project the image of a modern, progressive India with its commitment to the principles of democracy and international peace and harmony. It also edeavours to counter the false and baseless propaganda of its enemies.

Madam, during the fast few years a large number of people from Orissa have gone to different foreign countries for jobs. Most of them are at present working in various countries of the Gulf. There is no means of entertainment as well as information in their own language about the development of new India. These workers hardly know English or any other foreign language. The newspapers in their mother tongue cannot reach them. Therefore, they are totally isolated and ignorant of the happenings in India. Keeping in view the problem of the ever-increasing number of Oriya people abroad, I would request the hon. Minister of Information and Broadcasting to instruct the AIR to include Oriya language in the ESD and air programmes for the benefit of the overseas Oriyans. Thank you.

---

**The Criminal Law (Amendment) Bill, 1995—Contd.**

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हू सत्ता पक्ष की जो कुर्सियां हैं उनकी ओर मैडम, इनके 94 सदस्य हैं और लगता यह है कि इनके सदस्यों को दिलचस्पी नहीं है इस विधेयक को पास करने में क्योंकि 94 सदस्यों में से केवल 3 ही सदस्य उपस्थित हैं, अगर 2 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए । . . . (व्यवधान) मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । . . . (**व्यवधान**) . . .

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश) : मालवीय जी, कुर्सी जाने वाली है इनकी . . . (**व्यवधान**) . . .

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा)** : मालवीय जी, आप अपनी बात जारी रखें । आपका समय कम है, केवल चार मिनट का समय है । आप अपनी बात कहें ।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : जी, मैडम, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं इनकी दिलचस्पी नहीं है और अगर यह विपक्ष के लोग भी बाहर चले जाएं तो कोरम के अभाव में सदन स्थगित किया जा सकता है ।

मैडम, यह जो दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 है, यह केवल इसलिए लाया गया है ताकि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण के लिए उनसे निपटने के लिए तथा दण्ड विधि को अनुपूरित करने के लिए विशेष उपबंध हो सके । यह जो आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधियां हैं यह राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक हैं । इससे राष्ट्र टूट भी सकता है और राष्ट्र की जो सार्वभौमिकत है उसके लिए भी इससे खतरा है । लेकिन जो राज्य का आतंकवाद है, वह व्यक्ति, नागरिकों या जो नागरिकों का समूह है, उससे अधिक खतरनाक होता है । वर्तमान दंड विधि संशोधन विधेयक जो है, यह केवल कुछ संशोधनों के साथ जो पुराना "टाडा है, वही है और एक मामले है उससे भी ज्यादा खतरनाक है । "टाडा" जो था, जिसे सन् 1985 में पारित किया था

संसद ने, उसको कम से कम प्रति दो वर्ष में संसद के सामने लाकर के संसद की अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन जो वर्तमान संशोधन विधेयक है इसमें अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे कानून की किताब है, उसमें एक स्थाई विधेयक लाने का प्रयास सरकार कर रही है और यह अनावश्यक है । इसका दुरुपयोग होगा, इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । हमारे देश में "मीसा" का दुरुपयोग हुआ, "एन०एस०ए०" का दुरुपयोग हुआ और आज भी दुरुपयोग हो रहा है । गृह मंत्रालय ने, उनका जो बैक ग्राउंड नोट था, उसमें उन्होंने स्वयं माना है कि "टाडा" का भारी दुरुपयोग हुआ और विशेषकर के जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात में और महाराष्ट्र में, वहां भी इसका दुरुपयोग हुआ । गृह मंत्री जी स्वयं महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन गृह मंत्री होते हुए भी महाराष्ट्र में इस कानून के दुरुपयोग को वह रोक नहीं सके और अपने बैक ग्राउंड नोट में भी उन्होंने माना कि —

It was an unjustified misuse of the Act.

अब जो वर्तमान विधेयक लाया गया है इसके भी दुरुपयोग की आशंका है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता । वर्तमान में बहुत से कानून हैं, जिनकी चर्चा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में की गई है । हमारे देश में आज भी "मीसा" या "नेशनल सिक्युरिटी एक्ट" है, "आई०पी०सी." है, "सी०आर०पी०सी०" है, "आर्म्स एक्ट" है या जितने भी कानून हैं, इनके अंतर्गत हम अपराधों को रोक सकते हैं और यदि कोई अपराध करे, उन अपराधियों को हम अदालत के द्वारा सजा दिलवा सकते हैं । मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में इस नए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और इस देश में जो पहले से कानून हैं, वे बहुत ही व्यापक हैं, उन कानूनों के जरिए हम लोगों को सजा दिलवा सकते हैं ।

यह कानून कुछ मामलों में बहुत ही निरंकुश है क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि "टाडा" एक अस्थाई कानून था, यह एक स्थाई कानून है । दुरुपयोग का जहां तक सवाल है, यहां पर सी०पी०आई० के मैम्बर मौजूद हैं, आपने भी पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, एक सत्य घटना घटी पश्चिमी बंगाल में । पंजाब के कुछ नागरिक पश्चिमी बंगाल में गए थे, जहां पर कि सी०पी०आई० (एम) की सरकार है वहां पर पंजाब की पुलिस को ले जाकर के वहां चार-पांच लोगों की हत्या की गई । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया । सुप्रीम कोर्ट में पहले तो वहां के होम सैक्रेटरी या डिप्टी होम सैक्रेटरी ने इस बात से इंकार किया लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी अवमानना का नोटिस जारी करना पड़ा और वह मामला आज पंजाब के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चल रहा है अदालत में और सी० पी०आई० (एम) की सरकार ने स्वयं भी इसका विरोध किया । तो इस देश की पुलिस कितनी निरंकुश हो सकती हैं, इसकी कल्पना के बारे में मैं आपसे क्या कहूं मैं समझता हूं कि आप स्वयं भुक्तभोगी होंगी ।

दो-तीन इसमें जो प्रावधान हैं, उनका मैं विशेष रूप से विरोध करता हूं । एक तो इसमें सी०आर०पी०सी० की धारा 167 में परिवर्तन हो रहा है, जो रिमांड का प्रावधान है, उस रिमांड के प्रावधान में आप वृद्धि करना चाहते हैं । मेरा निवेदन यह है कि जो सी०आर०पी०सी० है, उस सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत रिमांड का प्रावधान है—15 दिन हो, 30 दिन हो, 60 दिन हो, तो उसके समय को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत है कि जिसको आप पकड़ें, उसके रिमांड की अनुमति आप मजिस्ट्रेट से ले सकते हैं । ...(समय की घंटी)... इसलिए उस रिमांड के प्रावधान का मैं विरोध करता हूं ।

दूसरे इसमें जो प्रापर्टी सीज की जाएगी, जिसके खिलाफ रपट दर्ज हो गई, तो उसकी प्रापर्टी सीज होगी । वह प्रापर्टी सब इंस्पेक्टर आफ पुलिस या डिप्टी एस०पी० सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस के आदेश

से सीज़ करेंगे। मेरा इसमें सुझाव यह है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और यह अधिकार पुलिस को नहीं देना चाहिए। स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था आप कर रहे हैं और इस बारे में स्पेशल कोर्ट को ही पावर आपको देनी चाहिए।

इसमें एक और विरोधाभास है। वे यह कहते हैं कि जो अधिकारी इसका दुरुपयोग करेंगे, उनके खिलाफ इसमें मुकदमा भी चलाया जा सकता है और इसके लिए अंत में प्रावधान है, क्लाज़ 24 में, कि :–

"Protection of action taken in *good faith and punishment for* corruptly or maliciously proceeding against any person under this Act."

धारा 1 और धारा 2 है, उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, समय की कमी की वजह से, लेकिन मैं इस ओर ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं कि सी०आर०पी०सी० में ही एक प्रोविज़न है 197 में कि इसमें ऐसे सरकारी अधिकारी, चाहे पुलिस अधिकारी हों या पब्लिक सर्वेंट्स हों ... **(व्यवधान)** ...।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) :** आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया समाप्त करें।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** बस, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। क्योंकि समय जितना बढ़ा है उतना समय तो बढ़ेगा न ?

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) :** आपका चार मिनट का समय था, आपने ले लिया।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** पहले इसका समय था तीन घंटा, जिसके अनुसार चार मिनट था। अब इसका समय छ: घंटा हो गया है तो छ: घंटे में तो आठ मिनट मिलेगा ही। मैं तो दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) :** एक मिनट में समाप्त करें।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो पब्लिक सर्वेंट–सरकारी अधिकारी हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाने की सरकार से सैंक्शन लेनी पड़ती है। सैक्शन–197 अपनी जगह आज भी एगजिस्ट करता है। इसमें विरोधाभाष है और उसका कोई भी लाभ आम जनता को नहीं हो सका। अंत में मैं अपनी बात कहकर के समाप्त करूंगा। यह जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसकी कम से कम परश्युएशन वैल्यू तो है ही। हमारे रूल्स में दिया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी परश्युएशन वैल्यू है। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जितनी भी बातें कही हैं सिवाय एक बात को छोड़ कर के सब इस बिल के खिलाफ है। आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसका उद्धरण नहीं करना चाहता। लेकिन पूरी चर्चा करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, केवल एक बात को छोड़ करके, अपनी रिपोर्ट के सातवें पृष्ठ में जितनी भी बातें कही हैं, इस बिल के खिलाफ कहा है। इसलिए कम से कम स्टैंडिंग कमेटी की जो परश्युएशन वैल्यू है, उसको तो इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए। एक एमरजेंसी पॉवर्स बिल था–1919 का, जिसके बारे में रालेट कमेटी बनी थी। वह भी केवल तीन साल के लिए था। बड़े-बड़े राष्ट्र भक्त थे, नेता थे, देशभक्त लोगों ने उसका विरोध किया और रोलेट कमेटी बैठी और उसके बाद ही वह भी तीन साल के लिए था जिसका नाम था–एमरजेंसी पॉवर्स बिल। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं। इसके बाद भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, दुरूपयोग होगा। जो निर्दोष लोग हैं वह मारे जायेंगे, निर्दोष लोग झूठे मुकदमें में फंसाए जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापिस ले।

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam, we are discussing a very important legislation. Shri Satya Prakash Malaviya has also referred to it. The importance attached by the Treasury benches to this piece of legislation is reflective of how they are

dealing with the problems of this country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Malaviya has already raised this matter.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Madam, we will be hauled up. They will not be hauled up.

SHRI M. A. BABY: The Press Gallery outnumbers the Members of the Treasury benches. There is no Parliamentary Affairs Minister present here. This is a very sad state of affairs. The country is watching us.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): ईश दत्त यादव जी, आपके पास चार मिनट का समय है।

श्री ईश दत्त यादव: (उत्तर प्रदेश): मैडम, हमारी पार्टी की संख्या उतनी है जितनी मालवीय जी की है। इसलिए दस मिनट हमारा भी है जब दस मिनट इनका हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपका चार मिनट का समय है, वह आपको बता दिया।

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1995 का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिए कर रहा हूं कि इसके पहले भी जो टाडा कानून था और जो नया कानून बनाने जा रहे हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। टाडा का कानून 23 मई, 85 में लागू किया गया था और आज उस कानून की वर्षगांठ है और अंतिम विदाई भी है। लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: आज उसका निधन भी हुआ है।

श्री ईश दत्त यादव: इसका कोई समाधान नहीं निकला है। माननीय संसद सदस्यों ने, सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने, मानव अधिकार आयोग ने, अल्पसंख्यक आयोग ने और देश के तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। इस कानून का इस आधार पर विरोध किया कि इस कानून का सदुपयोग नहीं हो रहा है और इससे जो काम होने को था वह नहीं हो रहा है, बल्कि दुरुपयोग हो रहा है और विशेषकर के इस कानून का दुरुपयोग राजनीतिक दृष्टि से और अकलियत के लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री चव्हाण साहब ने स्वीकार किया है कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ। मैडम् मैं नहीं समझता कि अब इस नए कानून के बन जाने से कोई लाभ होने वाला है। मैडम, जो विधेयक है वह तो पुराने कानून की बिल्कुल नकल है। इसमें पुराने कानून के मुताबिक साधारण सा संशोधन किया गया है। इसमें कह दिया गया है-जैसे कंफेशन का प्रोविजन था कि पुलिस आफिसर के सामने जो कंफेशन होता था वह मान्य हो जाता था, साक्ष्य में मान लिया जाता था। अब नए कानून में कहते हैं कि पुलिस आफिसर के सामने अगर कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद है तो वह कंफेशन मान लिया जाएगा। पहले सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाना था, अब कह दिया कि हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। इनवेस्टिगेशन डी० एस० पी० स्तर तक का आदमी करेगा, इससे नीचे स्तर का आदमी नहीं करेगा। मैडम्, मैं नहीं समझता कि ये जो साधारण से संशोधन किए जा रहे हैं पुराने कानून में, इससे कोई लाभ होने वाला है। यह तो सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है और श्री मालवीय जी सही कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि इस देश के अंदर बहुत से कानून बने हुए हैं जिनमें सख्त से सख्त व्यवस्था है और अगर सरकार और सरकार की एजेंसी जिन लोगों को इस कानून को कार्यान्वित करना है, अगर इसका कड़ाई से पालन करे तो अपराध रूक सकते हैं।

मैडम, देश के अंदर उग्रवाद बढ़ रहा है यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है, गंभीर विषय है और देश के अंदर यह भयंकर समस्या खड़ी है। उग्रवाद का मुकाबला होना चाहिए, उग्रवाद समाप्त

होना चाहिए और देश के अंदर भाई चारे की स्थिति पैदा होनी चाहिए । इसका निदान होना चाहिए, इसका कारण ढूंढना चाहिए सरकार को कि इसके पीछे क्या कारण हैं। इसके पीछे आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं और जनता की अगर कोई जायज मांग है, किसी की सही मांग है और सरकार जान बूझ कर उससे इंकार करती है तो वह भी कारण हो सकता है। इन सब कारणों का पता लगाना चाहिए कि देश के अंदर उग्रवाद बढ़ क्यों रहा है और इस उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सरकार के पास तर्क क्या हो सकता है । केवल बुलेट की नोक से या गोलियां चला कर या लोगों को जेल में डाल करके बेगुनाह लोगों को उग्रवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। सरकार ने, मैं समझता हूं कि इस पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया और सरकार के सामने तो अनेकों समस्यायें हैं। कभी अल्पमत की सरकार हो जाती है, बहुमत हो गया तो अब असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई। इनके सामने उग्रवाद की समस्या को हल करने के लिए और देश की समस्याओं को हल करने के लिए कोई समय नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा था आपके माध्यम से कि सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उग्रवाद बढ़ कैसे रहा है, पैदा कैसे हो रहा है, पनप कैसे रहा है और इस उग्रवाद को समाप्त करने के लिए तरीका क्या होगा। कानून आपके पास है, इन कानूनों का आप कड़ाई से पालन करें और यह जो बिल लाया गया है, यह मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। अब इस देश में दो कानून चलेंगे आज बारह बजे तक जिनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा टाडा कानून के अंतर्गत, उनके लिए अलग मुकदमा चलेगा, उनके लिए अलग प्रोसीजर होगा और जो आज बारह बजे रात के बाद पकड़े जाएंगे या इस कानून के लागू हो जाने के बाद पकड़े जाएंगे गिरफ्तार किए जाएंगे, उनके लिए अलग कानून होगा। यह क्या हास्यास्पद स्थिति है ? इस देश के अंदर एक ही जुर्म के लिए दो प्रकार के कानून रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि इस पर गंभीरता से विचार करे। जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी गृह विभाग की मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें गृह सचिव ने कह दिया कि यह कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। कानून हम लोग भी जानते हैं मैडम, और यह सदन विद्वानों का सदन है, ऐल्डर्स का सदन है। यहां सब लोग कानून के वेत्ता हैं और केवल गृह सचिव कह दें कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है तो इसको यह सदन मानने के लिए तैयार नहीं है।

मैडम, अब केवल एक धारा की ओर इशारा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इस विधेयक की धारा पांच है और धारा पांच में यह कहा गया है कि अगर किसी आदमी के पास, मैं दो लाइन पढ़ ही देता हूं—"यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी की सहायता करने के आशय से आयुध अधिनियम 1959, विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 या ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा तो वह पूर्वोक्त अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों के होते हुए भी कारावास की सजा पाएगा" और पहले कानून था कि अगर कोई क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, अगर उसके अंदर इस प्रकार का विस्फोटक पदार्थ या हथियार उसके पास मिलता था तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती थी, टाडा में बंद होता था। उनको डेढ़ साल दो साल हो गए लेकिन वे लोग आज भी बंद पड़े हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इसके पूर्व या आज के पूर्व जो लोग बंद किए गए हैं उनके लिए टाडा कानून और जो इस बिल, इस विधेयक के पास हो जाने के बाद, जब यह कानून हो जाएगा उसके बाद बंद किए जाएंगे उनके लिए दूसरा कानून होगा। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसको रेट्रोस्पेक्टिव कर देना चाहिए। इसको रेट्रोस्पेक्टिव कर देने में गृह मंत्री को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अंत में मेरी सरकार से मांग है कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए और वापस लेकर इन बातों पर गंभीरता से विचार करिए। यह विधेयक अनावश्यक है। यदि आप इसको आवश्यक समझते हैं कि आप मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाइए—स्टैंडिंग कमेटी ने भी सुझाव दिया है कि आप देश के तमाम मनोवैज्ञानिकों की एक बैठक बुलायें, देश के राजभक्त लोगों की एक बैठक बुलाइए, जो इस बारे में सरकार को सुझाव दे सके कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। वरना मेरा विश्वास है कि इस तरह के कानून से आप उग्रवाद की समस्या से नहीं निपट सकते। यह विधेयक जो आपने पेश किया है यह आपने दबाव में आकर पेश किया क्योंकि आपके दो मंत्रियों ने धमकी दी थी, आपके ट्रेजरी बेंच के संसद सदस्यों ने धमकी दी थी और देश के तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था। यह एक काला कानून है, गलत कानून है, इसको आप वापस लीजिए। आपको देश के लोगों की भावना का, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का, अपनी पार्टी के संसद सदस्यों का और हम सब लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। इस कानून से उग्रवाद की समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। यह कानून अगर पास हो जाएगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से टाडा का दुरुपयोग किया गया है उसी तरह से इस कानून का भी दुरुपयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): The House is adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at thirty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): In the Chair.

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, Vice-Chairman while sharing some reservations expressed by the Members on both the sides, I welcome the Bill because it does away with the TADA which has gained notoriety among the people because it was widely misused. Innocent people suffered due to the application of this Act and there were apprehensions among certain sections of the population that it was being used against them particularly. From that angle I welcome the Bill.

Some friends on my right side have used expressions that the Government is indulging in deception and fraud. I do not susbscribe to that view because, if the Prime Minister or the Government was serious about continuation of or extending the Act, there was no hurdle because a majority of the Chief Ministers belonging to various parties had supported the continuation of the Act. If the Government wanted to continue the Act, with the major Opposition parties in the Parliament willing to support on this account, the Government could have done it straightaway by extending the Act. But, because of the public opinion in the country and because of the allegations of widespread misuse of this Act by various State Governments, the Government has rightly decided to allow the Act to lapse and bring forward a new legislation. There was also a plea that there was no need for TADA and some of its provisions are already in the existing laws or some more can be added to the existing law and there was no need for this draconian law. That was a demand by many opposition parties as well as by some of the organisations. Madam, the very same thing is sought to be done by the Government through this Bill. I, therefore, welcome this Bill on that account also. It does away with the most obnoxious features of the TADA which were widely criticised.

I am happy that the parties here, while expressing their reservations on certain provisions of the Bill,

[Shri P. Upendra]

emphasised the need to tackle terrorism on a war footing. They were even willing to agree to certain special provisions to tackle this problem. Their apprehensions centered round the possible misuse of this new legislation also. So, some amendments have been proposed and one or two parties have specially emphasised the need to redefine terrorism and if that is the only obstacle in getting the consensus of the parties, I would urge upon the Government to consider these amendments because they are only confined to the definition of terrorism.

The second point which I would like to emphasise is that the people who are under-trials now under the TADA, though it lapses today, none of them will be benefited by this new law. After all, the demand for repeal of the TADA came because of the widespread misuse of that Act by the State Governments. If the same injustice is perpetuated and the people who are held under the TADA and are being tried under the TADA, continue to be tried in the same courts under different names, the message which we want to give to the country, which the Government wants to give to the country, that the draconian law has been repealed, will not go. Therefore, I feel that all the cases will have to be screened and only such cases supported by proper evidence, should be referred to the new courts. In fact, I do ont know whether the Law Minister will be able to tell that the existing courts could be allowed to go. New special courts should be appointed and cases should be referred to them selectively, based on the evidence which is available there, depending upon the progress of the case before the earlier TADA court. If they are already in the final stage, backed by proper evidence they could be continued or if they are in the preliminar stage and charge-sheets have not been filed properly, then those cases should be dropped. Unless this is done this Act will not receive the support which we anticipate. I also felt that the State Governments were being blamed by all for the misuse of the emergency provisions, because the provisions which were meant particularly to deal with a specific situation were used against political opponents and innocent people particularly, some persons belonging to a particular community. It would have been better if these Special Courts were set up by the Centre and not by the State Governments. And I believe it is possble under the law. After all, terrorism is not confined to a particular State, it is a national problem. More than one State is involved in this. In that case, the Centre could have appointed the Special Court and the judges could have been selected with the approval of the Chief Justice of the Supreme Court or the concerned High Court. And that would have created greater confidence among the people and prevented the misuse of the Act by the State Governments. I would also like to draw the attention of the Home Minister as well as the Law Minister to clause 13(1) which says, "A Special Court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving complaints of facts which constitute...." That means the Special Court can take cognizance of an offence even if the man is not committed to it by the magistrate. This was also misused. I am personally aware of a case in Delhi where a TADA judge *suo motu* ordered the arrest of a particular person and he goes on passing judgments and comments on the jail authorities, on the hospital authorities on the Government everybody. Everyday we hear so many comments of the judge and when the man is shifted to the hospital, he called for the medical record for several yeras and started questioning the doctors on medical aspects which he is not supposed to do. Therefore, the

power to examine the cases *suo motu* should not have been given to the Special Courts again because this is likely to be misused.

Madam, these are the two or three points which I wanted to make.

While concluding, I would like to say that I have come across a small piece of editorial written by yesterday's "Pioneer" which I quote. "While genuine criticism, born of concern for the country's democratic traditions, should be taken into account, carping critics who are willing to find fault with laws to sustain their politics of opportunism should be ignored. The Government must prove that the sanctity of the law cannot be violated—either by its keepers or the people." Thank you, Madam.

**SHRI K. RAHMAN KHAN** (Karnataka): Madam Vice-Chairman, at last the obnoxious draconian and inhuman piece of legislation which was the subject matter of a debate, not only in India but the world over, has been taken out from the Statute Book. I congratulate the Government for the bold act in spite of the pressure mounted on the Government for retention of TADA. Madam Vice-Chairman, the new Bill which is being introduced today, the Criminal Law Amendment Bill, has certain far-reaching changes and the Government has tried to remove the apprehensions and also the possible misuse in the new Bill. But I am afraid, the new Bill has not come up to the expectations. It is not evident from the Bill whether the misuse could be minimised. When one reads the provsions of the Bill, it is evident that the misuse may continue. There is very little safeguard to curb the misuse of the TADA provisions which were misuse by the police earlier. Therefore, something has to be done to see that there would be no more misuse of such draconian laws. Law is necessary. Terrorism has to curbed. Nobody wants terrorism. No person in the country would say that terrorism should not be curbed. To curb terrorism, law is necessary. But that does not mean that overriding powers shuld be given to the authorities who are asked to curb terrorism.

Madam, Vice-Chairman, the police should use their skills to detect terrorism not by the force of law. Law is there. The criminal law has to be used and the police should detect terrorism by their skills, not by taking recourse to draconian laws. That way, anybody can do it. What is the fun of giving so much powers to the police? The police would become lethargic and they would misuse the law.

It is being said that the Muslims are opposing the law and that is why the Government is bending. This is a very uncharitable remark to make against a section of the society. The Muslims have not opposed this law just because they are arrested. From 1992, because of the way the law had been misused, because of the way certain sections of the law-enforcing authorities had misused the law, it had brought out protests.

If a section of the society feels that the law had been directed towards them, if that section of the society protests against it, what is wrong in it? Should that section of the society not have the right to protest against it? If not, what should they do? Where should they protest? If a certain draconian law is introduced, the citizens have the right to protest against the misuse of the law. This is what they have done. How can anybody think that this is election politics, or, only to appease a certain section of the society, the Government had bent before them? No.

Earlier, the Government had taken into account the opinion of various sections of the Society and set up the National Human Rights Commission. Does it mean that they have bowed to the pressure of Muslims? No.

[Shri K. Rahman Khan]

If the Government takes into account the opinion of certain intellectuals who are raising their voice against it, does it mean that they have bent to the pressure of Muslims? No. This is a very uncharitable remark. This is minimising the importance of the whole thing.

As far as TADA is concerned, it is not that because the Muslims have protested, the Government has looked into it. They have admitted the weaknesses. The Government itself has readily admitted. The Government itself has readily admitted that the law has been misused.

In place of TADA, a new law is proposed to be enacted. Why should we be in a hurry to enact this law? Heavens are not going to fall. Of course, today; the law is going to lapse. TADA is going to lapse today. But let there be a careful consideration of every provision of this new law because we are going to apply this law on the citizens. We are the elected represetatives of the people here, in Parliament. We are to legislate various laws for the people who have elected and sent us here. We are not here to send them to jail. We are here to fulfil the aspirations of the people, If we have to fulfil the aspirations of the people, this piece of legislation for which we are legislating for them should be a carefully thought out legislation. As elected representatives of the people, we should be conscious of this fact.

Madam, we should not be in a hurry to pass this legislation because, I am afraid; there are certain provisions of the new law which would again be misused. Take for example clause 4(1). Clause 4(1) is again, in my opinion; a draconian provision. The definition is so ambiguous that if somebody advocates, he can also be arrested: under this law. I don't know how this law has been drafted. Who has drafted this law? We have to put our seal of approval for what has been phrased by somebody. Nobody is against the law. We are not against the law. This House is not against the law. This Parliament is not against the law. But, why should we accept whatever has been written? So, there is need that clause 4 has to be carefully drafted. The definitions of "terrorism" and "disruptive activities" have to be properly given. We should make the law-enforcing authorities accountable. There is no provision to make them accountable. Our laws will be all right, if we make them accountable: but we do not make anybody accountable, particularly for actions under the criminal laws. If you do not have their accountability, such laws are not proper laws.

Now, we have introduced clause 24(2), under which the police personnel will be punished if they misused the law, but clause 24(1) gives them a blanket power. It says that if one does it in good faith, he will not be questioned. So, for everything he will say that he has done it in good faith... (Time bell)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please be brief.

SHRI K. RAHMAN KHAN: How are you going to take action under clause 24(2) because they will always say that they have done it in good faith?

You are amending section 167 of the Code of Criminal Procedure. An accused person goes to judicial custody from police custody, and again he can be taken back under police custody. Can you not bring such laws which are accepted by people. Terrorism can be controlled. Terrorism and disruptive activities can be controlled by normal laws. The more stringent you make laws the more will they be misused by the people who implement them. The people, particularly the minorities, have lost confidence in the police. How are you going to bring back

the people's confidence in the police? This law will not bring back their confidence in the police because the police have misused the TADA for their own interests. Laws should be such that they inspire the confidence of the people in the police. If you just say that Muslims have lost the confidence, is it not the duty of Parliament to see why they have lost the confidence, whichever Government is there? That is why we are pleading with our Government that it should restore the confidence of the minorities in the police. They have lost the confidence of the police because the police behaved like that.

कुछ लोगों को टाडा से, टाडा के कानून से इश्क हो गया है । जब इश्क जाता है तो जुनून पैदा हो जाता है और जब जुनून इंसान को हो जाता है तो उसकी अक्ल बेकार हो जाती है । आज टाडा कानून के जो मुहाफिज हैं, जो चाहते हैं कि टाडा कानून इस मुल्क में रहे, उनका इश्क दीवानगी की हद तक चला गया है और वह टाडा को बचाना चाहते हैं, चाहे किसी के ऊपर जुल्म ही क्यों न हो । यह क्या बात है ? मैं यह बात दर्द से कह रहा हूं, यहां पर जुल्म जिस पर हुआ है, उसी को दर्द का एहसास हो रहा है । यह कह देना आसान है कि मुसलमानों को अपीज किया जाए, मगर अगर यह जुल्म आपके ऊपर होता तो आप किस तरह से उठ खड़े होते, किसी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे । जो इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है, उसी को दर्द का एहसास होता है, जो इंसान बातों से काम करता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता । तो अगर आपने आज जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसकी बात नहीं सुनी तो आपको उसकी बद्दुआ लगेगी । क्या इस देश में हजारों की तादाद में टेरेरिस्ट रहते हैं ? क्या पार्लियामेंट को यह सोचना पड़ेगा कि हजारों की तादाद में टेरेरिस्ट हिन्दुस्तान में हैं ? टेरेरिस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाइए, मैं कहूंगा कि टेरेरिस्ट के ऊपर कैपिटल पनिशमेन्ट कानून को भी लाइए । मैं कहूंगा कि टेरेरिस्ट का आइडेंटिफाई कीजिए लेकिन बगैर आइडेंटीफाई किए इस मुल्क के लोगों को आप पनिश मत कीजिए । तो मैं इस सरकार से अपील करूंगा, होम मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप कानून लाइए इस देश से टैरेरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क को हमें बचाना है, इस मुल्क के वास्ते हमें कुर्बानी देनी है, हरेक शख्स इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अफसरशाही के बने हुए कानून को हम पचा नहीं सकते हैं । हमारे ज्यादातर कानून बनते हैं अफसरशाही के वास्ते, हम लोगों के वास्ते कानून नहीं बनता है और हम मुसीबत में आ जाते हैं । आज हम मुसीबत में हैं, इसलिए कि हम अफसरों की बात मान रहे हैं, लोगों की बात नहीं मान रहे हैं । अगर हम लोगों की ऐस्पिरेशंस को मानते, लोगों की ऐस्पिरेशंस के अनुसार काम करते तो आज हमें तकलीफ नहीं होती । अफसरों का क्या है, तुम आते हो जाते हो, पोलिटिकल डिसीजन को लेने का कोई हक नहीं है, हमको पोलिटिकल डिसीजन लेना होगा । मैं अपील करूंगा कि हमको पोलिटिकल डिसीजन लेना है, लोगों की ऐस्पिरेशंस को सामने रखकर डिसीजन लेना है, किसी के दबाव में आकर हमें डिसीजन नहीं लेना । मैं दोबारा अपील करूंगा कि तरमीमात् के साथ आप इस कानून को बना दीजिए । मैं हुकूमत को दाद देता हूं कि उन्होंने लोगों की ऐस्पिरेशंस को समझा, टाडा को समाप्त किया, टाडा को निकाला और नया बिल जो आप लाए हैं, उसमें और ज्यादा तरमीमात् की जरूरत है । एक अमेंटमेंट भी मैंने मूव किया है, उस अमेंडमेंट के साथ अगर इस बिल को पास करें तो बहुत अच्छा होगा । शुक्रिया ।

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, we would like to know the time of the voting so that we can arrange Members to be present here.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): 3.30 p.m. was the time, but I don't think we

will be able to finish the speeches even by 4 p.m.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Then you fix up 4.30. (*Interruptions*) The Member is asking for fixing up the voting time so that everybody is present in the House.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): We will see, how we go. If we finish before 4.30 or 4 o' clock, then there is no problem.

3.00 p.m.

**श्री संघ प्रिय गौतम** (उत्तर प्रदेश) : महोदया, जब कोई सरकार विधेयक लाती है तो उसको औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए तरह-तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं और कोई न कोई तर्क उनमें ऐसा निकल आता है जो इनके प्रस्ताव या विधेयक को औचित्यपूर्ण ठहराने में इनका सहयोग करता है । लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टाडा को समाप्त करने और दण्ड विधि संशोधन विधेयक को लाने के बारे में सरकार ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, वह सब निराधार हैं और मैं इनको तर्क नहीं कह कर के कुतर्क कहता हूं । महोदया, सबसे पहले मैं अपनी बात यहां से प्रारम्भ करता हूं कि आतंकवादी और विध्वंशक क्रियाकलापों से संबंधित जो टाडा का विधेयक था, क्या आज उसकी आवश्यकता नहीं रही । ...(व्यवधान)...

मैं निवेदन कर रहा था कि टाडा को दो प्रकार से समाप्त किया जा सकता है । मैं सदन का ध्यान चाहूंगा । नम्बर-1, क्या जिन कारणों से टाडा को लाया गया था वह कारण समाप्त हो गए ? कारण थे— आतंकवादी और विध्वंशक क्रियाकलापों का पैदा होना और उनका निरन्तर बढ़ते रहना । महोदया, गृह मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि वे कार्यकलाप आज विद्यमान भी हैं और बढ़ भी रहे हैं । मैं उतना ही रिलिवेंट पोर्शन पढ़ूंगा :—

"Statement of Objects and Reasons: In the background of escalating terrorist and disruptive activities in several parts of the country, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 was first enacted on 23rd May, 1985. It was to remain in force for a period of two years. However, in the context of the continued terrorist violence in the country, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 was enacted.

The question of extension or repeal of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 will have to be viewed in the light of the overall security environment of the country. The aid and assistance from across the border received by various terrorist groups in India has to be taken note of. Terrorism, which was initially confined to the State of Punjab, Jammu and Kashmir and North East, has spread to several other parts of the country. The acquisition by terrorist groups of highly sophsticated weaponry, remote control devices, rocket launchers and professional training have added a new dimension to the problem."

This was the admission of the Government.

जब आज भी यह सारी गतिविधियां विद्यमान हैं तो टाडा को समाप्त नहीं किया जा सकता । दूसरे, यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने टाडा को संवैधानिक ठहराया है । इसी में उसका उल्लेख है :

"The constitutional validity of the said Act was upheld by the Supreme Court in Kartar Singh vs. State of Punjab."

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : आप पढ़ने में न जाएइ ।

**श्री संघ प्रिय गौतम** : अच्छा ठीक है । मैडम्, सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया—एक तो यह कारण । दूसरा

यह कारण, कि क्या यह विधेयक आतंकवादी विधेयक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए और उनमें लिप्त लोगों को सजा दिलाने में नाकामयाब रहा है ? अगर यह दो बातें हैं तो समाप्त कर दीजिए, मैं और मेरी पार्टी आपका समर्थन करेंगे । लेकिन जब यह दोनों चीजें विद्यमान हैं तो आप टाडा समाप्त नही कर सकते । अवैधानिक कारणों से आप कर रहे है बदनीयती से कर रहे हैं । अब सवाल आया कि इसके कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है । क्षमा करेंगे मेरे सांसद भाई, श्री चतुरानन मिश्र जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे सांसदों, भाईयों को, हमको बहुत सी सहूलियतें और सुविधाएं मिली हैं--गैस कनेक्शन के कूपन, टेलीफोन के कनेक्शन, रेलवे के पास, एयर के पास इसके अलावा और बहुत सी सुविधाएं हैं। क्या हम इनका दुरुपयोग नही कर रहे हैं, यह चार्जेज लगाए गए हैं । अगर हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं तो यह हमारी सारी सुविधाएं समाप्त क्यों नहीं होनी चाहिए ? आज हम सरवेंट क्वार्टर किराए पर उठा रहे हैं, हम अपने मकानों के कमरे किराए पर उठा रहे हैं । हम अपने साथ जो कम्पेनियन है, वह दूसरे आदमी को ले जाते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN MISS SAROJ KHAPARDE): Gautamji, please come to the point.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am coming to the point.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): This is not the way. Please stick to the subject.

**श्री संघ प्रिय गौतम :** कारण बताया गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है । तो दुरुपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायतें दीं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो इसकी जांच किसी डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा होनी चाहिए। इसका उल्लेख जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट में है । उन्होंने कहा और आपको डायरेक्शन दी तो आप इस प्रावधान को संशोधित कर सकते थे । इसके अलावा आपको और भी हिदायतें दीं सुप्रीम कोर्ट ने तो आपने उनको क्यों नहीं सुधारा ? महोदया, मेरा एक तो कहना यह है कि टाडा को समाप्त करना और इस विधेयक को लाना, यह औचित्यपूर्ण नहीं है । फिर इसकी विडम्बना देखिए, इसमें चार बातें ऐसी है, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा । धारा 3 के अंदर जहां गतिविधियां गिनाई गई हैं, उनमें यह नहीं जोड़ा गया कि अगर कोई किसी विशेष संभ्रांत नागरिक या उसके परिवारजनों का अपहरण करके ले जाता है और अपने कब्जे में रखता है और दूसरे आतंकवादियों को छुड़वाता है, उस पर भी लागू होना चाहिए । मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को आतंकवादी ले गए और केवल इसलिए ले गए कि आतंकवादियों को छुड़वाना था । क्या इसमें नहीं जोड़ा जाना चाहिए ? इसके अलावा महोदया, एक धारा इसमें है 17 और उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए और औचित्य क्या दिया गया, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने में गरीबों को मंहगा पड़ेगा न्याय । महोदया, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट गाजियाबाद से पांच सौ किलोमीटर दूर है और उत्तर काशी से आठ सौ किलोमीटर दूर है और हमारा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यू०पी० से करीब चार सौ, पांच सौ किलोमीटर से मिला हुआ है । सुप्रीम कोर्ट नजदीक है, हाई कोर्ट दूर है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि यह भी औचित्यपूर्ण तर्क नही है । कहा गया धारा 24 में कि अगर कोई पुलिस वाला बदनियती से किसी को बंद करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । मुझे हंसी आई, थोड़ा सा मैं कानून जानता हूं । कानून मंत्री बैठे है, यहां पर यह अनावश्यक है ।

आखिरी बात है मेरी । तीन बातें इसमें कही गई हैं । एक तो यह कहा गया है कि टाडा ऐसे केस में जो आतंकवादी

गतिविधियां पैदा करेगा या कोई विध्वंसकारी कार्यकलाप करेगा, उसके खिलाफ रिपोर्ट तब तक दर्ज नहीं होगी जब तक जिला पुलिस अधीक्षक स्वीकृति नहीं देगा। तो फिर कहां आ गया वह फंसाना पुलिस के द्वारा ? जब रिपोर्ट ही नहीं लिखी जायेगी पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति के बिना, फिर दूसरा कि इसकी जांच, इनवेस्टिगेशन या तो ए०सी०पी० रैंक का व्यक्ति करेगा जहां पर लागू यह प्रथा है या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस करेगा और तीसरा, आरोपपत्र, जिसे चार्ज-शीट कहते हैं, मैडम यह लास्ट है . . (**व्यवधान**) . .

**उप सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)**: बार-बार लास्ट बोलते जाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा कहते जाते हैं।

**श्री संघ प्रिय गौतम** : मैडम मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं, बीस मिनट आपने उस सदस्य को अभी दिये हैं तो मुझे दस मिनट तो दीजिये।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : आपकी पार्टी ने आलरेडी सात मिनट अधिक ले लिये हैं और मैंने आपको आठ मिनट दिये हैं। . . (**व्यवधान**) . . . बहस मत करिये।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am concluding, Madam. तो, तीसरा, आरोप-पत्र तब तक प्रेषित अदालत में नहीं होगा जब तक डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस स्वीकृति नहीं देगा। तो जब तीन जगह पर आ गया कि बगैर पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति के रिपोर्ट नहीं होगी और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस से कम का आदमी इनवेस्टिगेशन नहीं करेगा और बगैर डी०जी०पी० की स्वीकृति के चार्ज शीट नहीं जायेगी तो पुलिस वाला कहां से मैलेशियस और मैलाफाईड इंटेंशन का हो जायेगा ? यह बहुत ही गलत निराधार, सुपरफलूस, अनावश्यक है और मेंटल बैंकरप्सी का सबूत है यह जिसने ड्राफ्ट किया है यह बिल। और जो लास्ट सेंटेंस है . . . (**व्यवधान**) . . . अगर आप पुलिस की यह पावर ले लेंगे, माफ करना, अगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो एक भी टेररिस्ट को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार नहीं करेगा और टैररिस्ट सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर घूमेंगे। इसलिये मैंने इस संबंध में अपने 4 संशोधन पेश किये हैं। उसमें एक तो यह है कि हाई कोर्ट जहां जहां भी है वहां पर सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाये। (**समय की घंटी**) तो मैडम मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि या तो टाडा को इन संशोधनों के साथ बरकरार रखा जाय और यदि इस विधेयक को लाना ही है तो इसकी धारा 317 में और 24 में (**समय की घंटी**) संशोधन कर दिया जाये। धन्यवाद, मैं समाप्त करता हूं।

**श्री मोहम्मद मसूद खान** (उत्तर प्रदेश): मोहतरमा शुक्रिया। मोहतरमा, कई हफ्तों से यह बात सुनी जा रही है कि टाडा खत्म होगा, टाडा खत्म होगा। मगर जब वह वक्त आया, टाडा को रिपील करने का तो उस पर मुझे एक शेर याद आता है कि :

> की मेरे कत्ल के बाद जफा से तोबा,
> हाय उस जूद-ए-पशेमां का पशेमां होना।

मोहतरमा कल जब होम मिनिस्टर साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो राम जेठमलानी साहब ने सवाल पूछा था कि जो लोग टाडा में बन्द हैं उन पर किस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि टाडा के तहत। फिर रिट्रोस्पेक्टिव और प्रास्पेक्टिव की भी बात हुई। मैं इतनी टेकनकलीटीज में नहीं जाना चाहता। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में जब सांप निकलता है तो लोग इकट्ठा होते हैं और उसका सर कुचल देते है, बाडी कुचल देते हैं और जब पूंछ जरा जरा हिलती है तो गांव के बूढ़े कहते हैं कि इसको भी कुचल दो, नहीं तो यह फिर से

जिंदा हो जायेगा । मैं आपसे गुजारिश करुंगा कि इस टाडा की पूंछ को भी कुचल दो । इस एक्ट को बिल्कुल बदल दो, इस वास्ते कि टाडा जैसे कि मैंने कहा इससे बिल्कुल हट कर दिया जाये, इसको टाटा कर दो और टाडा को बिल्कुल खत्म कर दें ।

मोहतरमा, दो कानून हमारे सामने आये हैं । एक तो मीसा का कानून है जिसमें इस सदन के बहुत से लोग जेल में गये हैं । उसके बाद टाडा कानून आया । मैं एक मिसाल यहां पर देना चाहता हूं । मेरे बहुत से साथी, जिसमें जनसंघ के लोग भी थे और हम लोग भी थे, मैं भी उनमें था, हम लोग बरेली जेल में बन्द थे । एक 90 साल का आदमी जिसका हर्निया का आपरेशन हुआ था, जो कि पेशाब भी बैठकर नहीं कर सकता था, बर्तन उसके सामने रखा जाता था । लेकिन फाइल में उसके खिलाफ केस बनाया कि वह बिजली के पोल पर चढकर तार काट रहा था, इस वास्ते इसके ऊपर मीसा लगाया । दूसरी मिसाल में टाडा की देना चाहता हूं । गुजरात में एक आदमी सोशल स्टेटस रखता था । उसके बहुत से फंक्शन होते थे और बहुत से लोग उसमें शामिल होते थे । पुलिस वालों ने उसके ऊपर टाडा लगाया और दूसरे लोगों को भी पकड़ लिया, जिनके फोटोग्राफ उसके साथ थे । उन लोगों ने पूछा कि साहब ठीक है, हमें जिन्दगी भर जेल में रखिये मगर हमें हमारा कसूर तो बता दीजिये । तो पुलिस वालों ने वे फोटो उनको दिखाये और कहा कि इसमें आपका फोटो है, इस वजह से तुम्हें जेल में रखा है । उसके बाद एक आदमी ने कमिश्नर से पूछा कि आपके साथ भी हमारा फोटो है तो आप भी जेल में जाइये । क्योंकि आप भी तो यहां पर हमारे साथ बैठे हैं । कहने का मतलब है कि किस तरह से मीसा और टाडा का मिसयूज हुआ । हर एक शख्स चाहता है कि दहशतगर्दी खत्म हो । मेरे ख्याल में यह हर शख्स चाहता है । आप अखबारों को देखिये उनसे यह पता चलता है कि दहशतगर्दी अकेले हिन्दुस्तान में नहीं है, यह तो इन्टरनेशनल प्राब्लम होती चली जा रही है । बहरहाल, दहशतगर्दी को खत्म करने के वास्ते आप जितने भी सख्त से सख्त कानून लायें, उनसे यह दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई और मासूम लोग इसमें पकड़े गये । इसको देखकर मुझे वह मिसाल याद आती है कि:

मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।

पहला मिश्रा मैं नहीं पढूंगा । शायद उससे दूसरे भाई कुछ और मतलब निकाल लें इसलिये बहरहाल मैं दूसरे से ही काम चला लेता हूं ।

मैं इस सिलसिले में यह अहम मशविरा देना चाहता हूं कि यह दहशतगर्दी खत्म हो सकती है अगर इसमें आवाम का तावून लिया जाय । कोई भी सेंसिबल आदमी यह नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क के अन्दर दहशतगर्दी रहे लेकिन इसके लिये अवाम का तावून जरुरी है और आवाम के तावून के लिये सरकार को जबान देनी पड़ेगी कि हम किसी मासूम को नहीं पकड़ेंगे । किसी मुलजिम को छोड़ेंगे नहीं । टाडा की तरह से जिस तरह से मासूम पकड़े गये और जिस तरह से मुलजिम छोड़े गये या नहीं छोड़े गये, अगर कानून रहेगा तो दहशतगर्दी बढ़ेगी । इस बात की कोई जमानत नहीं है कि आप मासूम लोगों के खिलाफ जुल्म सितम नहीं करेंगे । उसकी एक सूरत है । मेरा मशविरा है आप अगर यह कानून लाते हैं तो दस एक अफसरों को सजा दे दीजिये जिन्होंने गलत लोगों को पकड़ कर आज तक जेल मे बन्द किया है । टाडा में मासूम लोगों को पकड़ कर बन्द किया गया, जिन जिन अफसरों ने, पुलिस के लोगों ने गलत तरीके से बन्द किया आप उसकी स्क्रीनिंग करा कर दस एक अफसरों को सजा दे दीजिये फिर देखिये मासूम लोग पकड़े नहीं जायेंगे । आप कोई भी कानून बनायेंगे उसमें आपको आवामी ताव्वुन नहीं मिलेगा, किसी तरह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी । एक बात और कहना चाहता हूं । सभी पक्षों के लोग एक बात कहते रहे कि मशीनरी ने मिसयूज किया मीसा में हम भी बन्द थे । हमारे ऊपर इल्जाम यह लगाया गया था कि मैं एक टीम लेकर चल रहा हूं मोहतरमा

इंदिरा गांधी के कत्ल करने के वास्ते। मैं सोच भी नहीं सकता, तस्सबुर नहीं कर सकता किसी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मेरे दिमाग में ऐसी सोच हो लेकिन पुलिस ने यह केस जड़ दिया था कि मैं टीम लेकर चल रहा हूं आजमगढ़ से दिल्ली की तरफ मोहतरमा इंदिरा गांधी को कत्ल करने के लिये। अगर फाइल देख कर के फैसला होगा तो फाइल को बहुत मजबूत यह पुलिस वाले बनाते हैं। इसलिये मशीनरी पर इल्जाम देना गलत है। मशीनरी एक नाजी घोड़े की तरह से है। सवार कैसा है, यह देखा जाना चाहिये। अगर सवार ठीक है तो नाजी घोड़ा ठीक हो जाता है, अच्छी रफ्तार से चलता है उसी तरह से अच्छी रफ्तार से चलेगा अगर सवार लुजलुज है तो घोड़ा उसको पटक भी देगा और दो लात भी लगा देगा कि जाओ तफरीह करो। मेरा कहना यह है कि मशीनरी को कंट्रोल करने के वास्ते जो इस कानून पर अमल दरामद करायेंगें वह लोग जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक इस कानून का अच्छा असर नहीं होगा, मासूम ही खाली तबाह होंगे और मुलजिम कभी पकड़े नही जायेंगे। मशीनरी को ठीक करने के वास्ते आप यह बताइये कि टाडा को गलत इस्तेमाल करने वाली मशीनरी जो थी उसमें से कितने लोगों को आप सजा देने जा रहें हैं? तब तो कम से कम दिमाग में यह बात मालूम होगी कि कानून का असर होगा। अगर आप मशीनरी को ठीक नहीं कर सकते, मशीनरी को ठीक करने का काम हुक्मरान तबके का है, मशीनरी ठीक करने की ताकत हुक्मरान में नहीं है तो मशीनरी को इल्जाम नहीं देंगे बल्कि हुक्मरान को इल्जाम देंगे। उनके अन्दर कमी है। वह मुल्क को अपना मुल्क समझें और दहशतगर्दी खत्म करने के वास्ते, अपना असम्यम इरादा करें। जो भी मशीनरी का आदमी हो, चाहे आई.ए.एस. अफसर हों, चाहे आई.पी.एस. अफसर हो, उसने जो टाडा में गलती की है, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिये जो मासूम लोगों को टाडा में जेल में भर कर सजा दी गई। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दहशतगर्दी जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि यह दलगत मामला नहीं है। यह पूरे देश का मामला है। मैं अखबार में पढ़ता हूं और आज सुबह के अखबार में मैंने देखा कि कराची में बेनजीर इशारा कर रही है कि यहां भी दहशतगर्दी फैल गई है। जिससे शिकवा आम तौर से लोग करते थे वहां भी दहशतगर्दी है और बहुत से मुल्कों में पहुंच गई है। यह इंटरनेशनल मसला हो गया है। लिहाजा तमाम दलों को मिला कर के जब तक दलों का दिल साफ नहीं हो, दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। जब तक दलों को मिलायेंगे नही दिल साफ नहीं होंगे, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी मुल्क सबका है, किस तरह से हम आपसी ताब्दुन से दहशतगर्दी और इस किस्म की चीज खत्म करें और किसी मासूम को जरा भी तकलीफ न हो यह हमारे सामने हो तो कानून अमल करेगा हमारे पास अच्छी मशीनरी नहीं है मशीनरी को टाइट करने की हमारे पास ताकत नहीं है तो आप अच्छा कानून लाकर के क्या करेंगे। उसका कोई असर नहीं होगा। इसमें तो बहुत सा डिफेक्ट है, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का भी इसमें झगड़ा है और बहुत सा झगड़ा है। इन सब बातों को कहने के बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

†[شری مسعود خاں (اتر پردیش):

محترمہ شکریہ۔ محترمہ کئی ہفتوں سے یہ بات سنی جا رہی ہے کہ "ٹاڈا" ختم ہوگا ٹاڈا ختم ہوگا۔ مگر جب وہ وقت آگیا "ٹاڈا" کو ریپیل کرنے کا تو اس پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ:

"کی مرے قتل کے بعد جفا سے توبہ
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا"

محترمہ کل جب ہوم منسٹر صاحب "ایکسپلینیشن" دے رہے تھے رام جیٹھ ملانی صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ جو لوگ "ٹاڈا" میں بند ہیں ان پر کس ایکٹ کے تحت مقدمہ چلیگا تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹاڈا کے تحت "ریٹروسپیکٹیو" اور "پروسپیکٹیو" کی بھی بات ہوئی۔ میں اتنی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ گاؤں میں جب سانپ نکلتا ہے تو لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اسکے سر کچل دیتے ہیں باڈی کچل دیتے ہیں اور جب پونچھ ذرا ذرا ہلتی ہے تو گاؤں کے بوڑھے کہتے ہیں کہ اسکو بھی کچل دو۔ اس ایکٹ کو بالکل بدل دو۔ اس واسطے کہ "ٹاڈا" جیسے کہ میں نے کہا کہ اسے بالکل ٹاٹا کہہ دیا جائے اس کو ٹاٹا کر دو اور "ٹاڈا" کو بالکل ختم کر دیں

محترمہ۔ دو قانون ہمارے سامنے آئے ہیں ایک تو میسا کا قانون ہے جسمیں اس سدن کے بہت سے لوگ جیل میں گئے ہیں اسکے بعد "ٹاڈا" قانون آیا میں ایک مثال یہاں پر دینا چاہتا ہوں میرے بہت سے ساتھی جسمیں "جن سنگھ" کے لوگ بھی تھے اور ہم لوگ بھی تھے۔ میں بھی انمیں تھا ہم لوگ بریلی جیل میں بند تھے ایک ۹۰ سال کا آدمی جسکا "پرسٹیٹ" کا آپریشن ہوا تھا۔ جو کہ پیشاب بھی بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا نرس اسکے سامنے رکھا جاتا تھا۔ لیکن فائل میں اسکے خلاف کیس بنایا کہ وہ بجلی کے پول پر چڑھ کر تار کاٹ رہا تھا۔ اس واسطے اسکے اوپر "میسا" لگایا گیا۔ دوسری مثال میں "ٹاڈا" کی دینا چاہتا ہوں۔ گجرات میں ایک آدمی سوشل اسٹیٹس رکھتا تھا اسکے بہت سے فنکشنس ہوتے تھے اور بہت سے لوگ اسمیں شامل ہوتے تھے۔ پولیس والوں نے اس کے اوپر "ٹاڈا" لگایا اور دوسرے لوگوں کو بھی پکڑ لیا جتنے فوٹو گرافس اسکے ساتھ تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ صاحب ٹھیک ہے کہ صاحب ہمیں زندگی بھر جیل میں رکھئے مگر ہمیں ہمارا قصور تو بتا دیجئے تو

†[ ] Transliteration in Arabic script.

پکشیوں کے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ مشینری نے مس یوز کیا۔ "میسا" میں ہم بھی بند تھے۔ ہمارے اوپر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ میں ایک ٹیم لے کر چل رہا ہوں محترمہ اندرا گاندھی کے قتل کے واسطے میں سوچ بھی نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا کسی پرائم منسٹر کے بارے میں میرے دماغ میں ایسی سوچ ہو لیکن پولیس نے یہ کیس جوڑ دیا تھا کہ میں ٹیم لیکر چل رہا ہوں اعظم گڑھ سے دلی کی طرف محترمہ اندرا گاندھی کو قتل کرنے کیلئے۔ اگر فائل دیکھ کر کے فیصلہ تو فائل کو مضبوط بہت یہ پولیس والے بناتے ہیں۔ اسلئے مشینری پر الزام دینا غلط ہے۔ مشینری ایک گاڑی گھوڑے کی طرح ہے۔ سوار کیسا ہے یہ دیکھا جانا چاہئے۔ اگر سوار ٹھیک ہے تو گاڑی گھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے اچھی رفتار سے چلتا ہے۔ اسی طرح سے اچھی رفتار سے چلیگا۔ اگر سوار "سیج" ہے تو گھوڑا اسکو پٹک بھی دے گا اور دولات بھی لگا دے گا۔ کہ جاؤ تفریح کرو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مشینری کو کنٹرول کرنے کے واسطے جو اس قانون پر عملدرآمد کر رہے ہیں وہ لوگ جبتک ٹھیک نہیں ہونگے تبتک اس قانون کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ معصوم ہی خالی تباہ ہونگے اور ملزم کبھی پکڑے نہیں جائینگے۔ مشینری کو ٹھیک کرنے کے واسطے آپ یہ بتائیے کہ "ٹاڈا" کو غلط استعمال کرنے والی مشینری جو تھی اس میں سے کتنے لوگوں کو آپ سزا دینے جا رہے ہیں تب تو کم سے کم دماغ میں یہ بات معلوم ہوگی کہ قانون کا اثر ہوگا۔ اگر آپ مشینری کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مشینری کو ٹھیک کرنے کا کام حکمراں طبقے کا ہے۔ مشینری ٹھیک کرنے کی طاقت حکمراں میں نہیں ہے تو مشینری کو الزام نہیں دینگے۔ بلکہ حکمراں کو الزام دینگے۔ انکے اندر کمی ہے وہ ملک کو اپنا ملک سمجھیں اور دہشت گردی ختم کرنے کے واسطے اپنا مصمم ارادہ کریں۔ جو بھی مشینری کا آدمی ہو۔ چاہے آئی۔اے۔ایس ہو چاہے آئی۔پی۔ایس۔ افسر ہو اسنے "ٹاڈا" میں جو غلطی کی ہے اسکو بھی وہی سزا ملنی چاہئے جو معصوم لڑکوں کو "ٹاڈا" میں جیل میں بھر کر سزا دی گئی۔

آخری بات کہنا چاہتا ہوں

آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں دہشت گردی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ الگ معاملہ نہیں ہے۔ یہ پورے دیش کا معاملہ ہے۔ میں اخبار میں پڑھتا ہوں اور آج صبح کے اخبار میں میں نے دیکھا کہ کراچی میں بے نظیر اشاعت کر رہی ہے کہ

†[ ] Transliteration in Arabic script.

ختم ہو سکتی ہے اگر اسمیں عوام کا تعاون لیا جائے۔ کوئی سینسن ایبل آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی رہے لیکن اسکے لئے عوام کا تعاون ضروری ہے اور عوام کے تعاون کیلئے سرکار کو یہ یقین دہانی کرنی پڑے گی کہ ہم کسی معصوم کو نہیں پکڑینگے کسی ملزم کو چھوڑینگے نہیں "ٹاڈا" کی طرح سے جسطرح سے معصوم پکڑے گئے اور جسطرح سے ملزم چھوڑے گئے یا نہیں چھوڑے گئے۔ اگر قانون رہے گا تو دہشت گردی بڑھے گی۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ معصوم لوگوں کے خلاف ظلم و ستم نہیں کرینگے۔ اسکی ایک صورت ہے میرا مشورہ ہے آپ اگر یہ قانون لاتے ہیں تو دس ایک افسروں کو سزا دے دیجئے جنہوں نے غلط لوگوں کو پکڑ کر آجتک جیل میں بند کیا ہے۔ "ٹاڈا" میں معصوم لوگوں کو بند کیا گیا جن جن افسروں نے۔ پولیس کے لوگوں نے غلط طریقے سے بند کیا آپ اسکی اسکریننگ کرا کر دس ایک افسروں کو سزا دے دیجئے۔ پھر دیکھئے معصوم لوگ پکڑے نہیں جائینگے آپ کوئی بھی قانون بنائیں گے اسمیں آپکو عوامی تعاون نہیں ملے گا۔ کسی طرح سے دہشت گردی ختم نہیں ہو پائے گی بس یہ بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ سبھی تو پولیس والوں نے وہ فوٹو انھیں دکھائے اور کہا کہ اسمیں آپکا فوٹو ہے۔ اسوجہ سے تمہیں جیل میں رکھا ہے۔ اسکے بعد ایک آدمی نے کمشنر سے پوچھا کہ آپکے ساتھ بھی ہمارا فوٹو ہے تو آپ بھی جیل میں جایئے کیونکہ آپ بھی تو یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کسطرح سے "میسا" اور "ٹاڈا" کا مس یوز ہوا۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ دہشت گردی ختم ہو۔ میرے خیال میں یہ ہر شخص چاہتا ہے۔ آپ اخباروں کو دیکھئے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردی اکیلے ہندوستان میں نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہوتی جا رہی ہے بہرحال دہشت گردی کو ختم کرنے کے واسطے آپ جتنے بھی سخت سے سخت قانون لائیں ان سے یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی اور معصوم لوگ اسمیں پکڑے گئے اسکو دیکھکر مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ:

"مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی"

پہلا مصرع میں نہیں پڑھونگا۔ شاید اس سے دوسرے بھائی کچھ اور مطلب نکالیں اسلئے میں بہرحال دوسرے سے ہی کام چلا لیتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں اہم مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی

†[] Transliteration in Arabic script.

یہاں بھی دھشت گردی پھیل گئی ہے جس سے
شکوہ عام طور سے لوگ کرتے تھے وہاں
بھی دھشت گردی ہے اور بہت سے
ملکوں میں پہنچ گئی ہے - یہ انٹرنیشنل مسئلہ
ہو گیا ہے - لہذا تمام دلوں کو ملا کر کے
جبتک دلوں کا دل صاف نہیں ہو دھشت
گردی ختم نہیں ہو سکتی - جبتک دلوں کو
ملائینگے نہیں دل صاف نہیں ہونگے - دھشت
گردی ختم نہیں ہوگی - ملک سب کا ہے -
اسطرح سے ہم آپسی تعاون سے دھشت
گردی اور اس قسم کی چیز ختم کریں اور کسی
معصوم کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو یہ ہمارے
سامنے ہو تو قانون عمل کرے گا - ہمارے
پاس ابھی مشینری نہیں ہے - مشینری کو
ٹائٹ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں
ہے تو آپ اچھا قانون اگر کے کیا کرینگے
اسکا کوئی اثر نہیں ہوگا - اسمیں تو بہت
سا ڈیفیکٹ ہے "ریٹروسپیکٹیو" اور
"پروسپیکٹیو" کا بھی اسمیں جھگڑا ہے
اور بہت سا جھگڑا ہے - اس سب باتوں
کو کہنے کے بعد میں آپکا شکریہ ادا کرتا
ہوں - ختم شد

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Sanatan Bisi.

SHRI SANATAN BISI: (Orissa): Madam, thank you for giving me this opportunity. Madam, I would like to deal with four points, firstly, the objects; secondly; the Criminal Procedure Code, thirdly, the Indian Penal Code and fourthly, article 245 of the Constitution.

The present Government has brought this Bill in a very dubious manner. I say dubious because of the fact that the Government has not taken into consideration the report given by the Standing Committee. The Government has also not taken into consideration the views expressed by the Members of the Opposition parties. The Government has also not taken into consideration the views expressed by some Chief Ministers and leaders of other States.

Madam, so far as the Criminal Procedure Code and the Indian Penal Code are concerned, both these Codes are not applicable to the State of Jammu and Kashmir. As per the Statement of Objects and Reasons the Government says that they are bringing this legislation for the purpose of curbing terrorism in Jammu and Kashmir, Punjab and North-East. Madam, already the Indian Penal Code is there and the Criminal Procedure Code is also there The House is unanimous that the Indian Penal Code should be made applicable, by necessary amendments.

Madam, two things can be done. So far as Jammu and Kashmir, Punjab and North-East are concerned, there are several laws under which you can deal. So far as other States are concerned, the Indian Penal Code is there and the Criminal Procedure Code is also there. There two Codes are very good. We can go ahead with them. It will not create any tension in the minds of the people.

Madam, so far as the definitions in clause 3 and clause 4 of the present Bill are cn cncerned, almost all the parties have condemned it. almost all the parties have decried it, and also the Members of the Congress party. So far as the

definitions of 'disruptive activities' and 'terrorist acts' are concerned, these should not be there. The definitions should be in accordance with the Indian Penal Code. The present Bill which they have introduced is not with good intentions and with spontaneity because the objectives are not very clear. Madam, as you know, article 248 of the Constitution is a residuary provision. It is clear that the Criminal Procedure Code is not applicable to the State of Jammu and Kashmir. But the Government wants to have sections 167; 260; 366, 367; 368: 371 and 438 of the Criminal Procedure Code in the present Bill. I would like to know from the hon. Home Minister what he is going to do with article 248 of the Constitution because when corresponding Law are not inforce.

Lastly, when the entire nation is against the Criminal Law Amendment Bill, 1995, it should be withdrawn. This is the opinion of my party.

Thank you.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, I am thankful to you for giving me this opportunity. I rise to oppose this Bill. This is the most draconian piece of legislation. Madam, this draconian legislation was enacted 10 years ago on 23rd May, 1985. It is a painful paradox which was enacted a decade ago.

Madam, in 1975 emergency was declared. Before that the citizens of India raising their heads high could walk into any capital of the world saying that they belonged to the tallest democracy in the world. That kind of reputation was totally destroyed during the dark days of the Emergency. Again, in the year 1985, TADA was enacted. Now, after ten years, in 1995; we are discussing in this August House another draconian, obnoxious piece of legislation. The National Human Rights Commission demanded the repeal of TADA Its Chairman, hon. Shri Ranganath Mishra, has advised the Government not to renew TADA in view of its gross misuse in many parts of the country. But what is the Government doing? It is renewing TADA with a different name. Therefore, we oppose this Bill. There are already laws of the land to deal with any situation. There is no necessity to bring forward this legislation. TADA was misused against the minorities and now they say that it will not be misused and if any police officer, corruptly and coersively tries, maliciously proceeds or threatens to proceed, he will be dealt with according to the provisions of this law. But the police officers normally tend to use such provisions only at the behest of the people in power.2 Therefore, the Government will be responsible to what has happened in many States where thousands of people are languishing in jails for all these years due to political vendetta. Political opponents have been thrown into jails. This is happening in Tamil Nadu also. The fascist forces, after taking the reins of the Government; have suppressed the human rights. Therefore, this law is against the Declaration of Human Rights in Geneva.

Now they say that if anybody is in jail on charges of terrorism for a period of five years, his property can be confiscated; the trial will be held in camera and the witnesses may not be identified. Then there is a possibility of summary trial. Our experience all these years is self-evident. The Government had assured that TADA would be there only for two years. All the assurances given by the Government have gone with the wind. Therefore, I would request the Government not to proceed with this piece of legislation.

What will happen to those who are languishing in jails, those who were booked under TADA? They

say that they will be dealt with in accordance with the old TADA but you say that the old Act is being repealed. This is nothing but fraud and camouflage. I think those cases have to be dealt with in accordance with the ordinary laws of the land when you say that you are bringing forward a new legislation. We are opposing this Bill. I would like to see that this Bill is defeated lock, stock and barrel. If you pass this Bill, then those persons who are languishing in jails should not be dealt with under the old Act. That is why I say that it is a fraud and camouflage. The experience we have about this sort of black laws is that such laws have always been used by the people in charge of their implementation to suppress human rights. Therefore, Madam, I request the Government not to proceed with this Bill, but withdraw this Bill. This is my submission, Madam. Again, with all the force at my command, I oppose this Bill.

*श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र)

उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज हम समाप्त हो रहे टाडा के बारे में और उसका स्थान लेने वाले "दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995" के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

महोदया, आज जिसकी मियाद समाप्त होने जा रही है उस टाडा को सबसे पहले 1985 में लागू किया गया था। पिछले दस साल से टाडा नाम का यह कानून इस देश में लागू था। दस साल के बाद इसको समाप्त किया जा रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं कि आज टाडा का अंतिम दिन है, तो वह गलत नहीं होगा। मैं इस सदन में एक सवाल उठाना चाहता हूं। सवाल यह है कि टाडा या टाडा जैसे कानूनों की जरुरत ही क्यों महसूस हुई। 1985 में जब यह कानून बनाया गया था तब इस कानून को किन उद्देश्यों से बनाया था? किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया था। इस संदर्भ में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार पेश किए हैं। भारतीय दंड संहिता का भी उल्लेख किया गया है।

सवाल यह है कि 1985 में जब यह कानून बनाया गया था तब भी भारतीय दंड संहिता मौजूद थी। लेकिन देश के कोने-कोने में जो विध्वंसक गतिविधियां, आतंकवादी कार्यवाहियां हो रही है, सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, ऐसे नाजुक समय में स्थिति का मुकाबला करने के लिए उस वक्त के मौजूद कानून पर्याप्त नहीं थे। उन कानूनों के सहारे स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता था इसलिए एक नये सशक्त कानून की आवश्यकता महसूस हुई और टाडा जैसे कानून को तत्कालीन संसद ने, सरकार ने अमल में लाया। समय समय पर टाडा की मियाद भी बढ़ाई गई।

**उप-सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : आप कृपा करके माईक के पास आकर बोलिए।

**श्री सतीश प्रधान** (महाराष्ट्र) : आज टाडा कानून का अंतिम दिन है। कल से टाडा कानून का कार्यान्वियन समाप्त हो जायेगा।

**उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : प्रधान जी आप कृपया आगे आकर बोलिए।

**श्री सतीश प्रधान** : आज इस चर्चा के दौरान भारतीय दंड संहिता और दंड विधि के उल्लेख किए जा रहे हैं। यह सब कानून मौजूद होने के बावजूद 1985 में टाडा जैसा कानून संसद ने बनाया। इन कानूनों के प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, यह उस वक्त के संसद ने स्वीकार किया था। उस स्वीकारोक्ति के बाद ही टाडा कानून बनाया गया था। 1985 में जो स्थिति थी और आज 1995 में स्थिति है उस में कोई खास फर्क नहीं है।

जिस स्थिति में यह कानून बनाया गया था वह स्थिति बरकरार है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। पिछले दस

*Transliteration of the Original Speech delivered in Marathi.

[श्री सतीश प्रधान]

साल से इस कानून का कार्यान्वयन हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस संदर्भ में जो वक्तव्य दिया था, गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दस साल पहले जो स्थिति थी वह आज भी है। यह कानून जिस परिस्थिति में बनाया गया था वह परिस्थिति आज भी मौजूद है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि आज यह कानून क्यों बुरा लगने लगा। आज भी देश में आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। बम कांड हो रहे हैं। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़े यह बता रहे हैं कि 1985 से आतंकवाद की जो स्थिति थी वह आज भी है।

सरकार को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह से आतंकवाद समाप्त किया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य देशद्रोहियों को सजा दिलाना था। जो देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे थे उनको सजा दिलाने के लिए यह कानून बनाया गया था। देश को आतंकित करने वालों के खिलाफ यह कदम उठाया गया था।

1985 में केन्द्र सरकार ने टाडा को पारित करके राज्य सरकारों को इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी। केन्द्र सरकार ने एक प्रभावी हथियार राज्य सरकारों के हाथ में दिया था। लेकिन क्या राज्य सरकारें इसका सही इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं इसके बारे में सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। केन्द्र सरकार दर्शक की भूमिका अदा करती रही। वास्तव में सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, कार्यान्वयन कैसा हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, उसके क्या दुरुपयोग हो रहे हैं इसके बारे में अध्ययन करना चाहिए था। यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। इस कानून का कहां और कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा देखती रही।

आज सरकार दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 लेकर आयी है। इस बिल में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे केन्द्र सरकार इस कानून के कार्यान्वयन में आ रही कमियां दूर कर सके। इसके अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कार्यान्वयन में निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस कानून के कार्यान्वयन में हो रही गलतियां दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर इसके कार्यान्वयन में कोई ज्यादतियां हुई तो क्या आप इस कानून को दुबारा समाप्त करेंगे? जिस तरह आज टाडा को समाप्त किया जा रहा है क्या उसी तरह आप इस कानून को भी एक दिन समाप्त करने के लिए संसद के सामने आयेंगे? यह सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं।

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे):** अगर ऐसा है तो टाडा में भी संशोधन किया जा सकता था।

**श्री सतीश प्रधान:** जो भी आवश्यक है वह किया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। इस सदन में उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया गया। एक कमेटी बनाने के संदर्भ में भी बात उठायी गयी है। उच्चतम न्यायालय ने एक कमेटी नियुक्त करके अब तक दर्ज हुए केसेज के बारे में रिव्यू करने के लिए कहा। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। कमेटी बनाने का और कानून में संशोधन करने का अधिकार संसद का है। लेकिन इस बात को उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा। न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी क्यों की? यह भी एक सोचने लायक बात है। उच्चतम न्यायालय के इस टिप्पणी के बारे में सरकार ने अब तक कोई विचार-विमर्श नहीं किया। कानून की दूसरी संस्था ऐसा हस्तक्षेप क्यों कर रही है इसके बारे में भी सोचा नहीं गया। हमने इसके संशोधन के बारे में नहीं सोचा बल्कि हम इसको समाप्त

करने पर तुल गये । इन सब बातों को मद्देनजर रखके मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम कहीं न कहीं ग़लत रास्ते पर जा रहे हैं । हम वास्तव में यह राह भटक रहे हैं । तीसरी और महत्वपूर्ण बात का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं । इस कानून प्रक्रिया में आपने जो विशेष अदालतों का प्रावधान किया है उन अदालतों द्वारा समय पर निर्णय नहीं लिये जाते । सालों साल मामले चलते हैं । इस संदर्भ में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन अदालतों द्वारा तुरन्त निर्णय लिये जाने चाहिये । जो केसेस कोर्ट में जाते हैं उनका निपटारा कब होगा इस बात का कोई भरोसा नहीं होता । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन मामलों का तुरन्त निर्णय हो जाना चाहिये । न्याय व्यवस्था कछुए की चाल चल रही है । आज के इस अंतरिक्ष युग में हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल पंगु बन गयी है, अपाहिज बन गयी है । उसमें जान फूंकने का काम कौन करेगा? आज पूरी न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । किसी मामले को लटकाना हो तो उसे अदालत में ले जाओ और फिर 40-50 साल तक चैन की नींद सो जाओ । यह हालत हमारी आज न्याय पालिका की हो गई है । इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । यह परिवर्तन कौन करेगा ? तुरन्त न्याय करने की व्यवस्था होनी चाहिये । आज हमारी न्यायपालिका में जान फूंकने की आवश्यकता है । यह सरकार की जिम्मेदारी है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस बात पर गौर करेगी ।

**उप सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : प्रधान जी आप और कितना समय लेंगे?

**श्री संतोष प्रधान** : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं अंतिम मुद्दा पेश कर रहा हूं । कानून के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि यह कानून किसी विशेष समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया गया । लेकिन यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है । राज्य सरकारों के आकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं ।

आज से टाडा को समाप्त किया जा रहा है । टाडा के संदर्भ में सब बातें समाप्त हो जायेंगी । लेकिन इस बात से हमें सबक लेना चाहिये और भविष्य में समय-समय पर अध्ययन और संशोधन किये जाने चाहिये । धन्यवाद ।

**उप सभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे)** : आपने एक मिनट में अपनी बात समाप्त की इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं ।

**श्री राज बब्बर** (उत्तर प्रदेश) : माननीया उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । सन् 1994 की 16 अगस्त को जब पहली बार मैंने इस सदन में बोला था तो "टाडा" के खिलाफ बोला था और उस वक्त इस सदन के कई कोनों से प्रशंसा और प्यार दोनों ही मिला था—भावना और भावावेश में कभी उत्तेजित भी हुआ, नादानी भी की । शायद आज जब इस "टाडा" का आखिरी दिन है—जब कोई आखिरी सांसें ले रहा हो तो उसके सामने माफी मांग लेनी चाहिये – मैंने अगर कोई भी नादानी की हो तो उसके लिये क्षमाप्रार्थी हूं क्योंकि आज "टाडा" की आखिरी सांस निकलने वाली है ।

उप सभाध्यक्ष महोदया, मैं और मेरा दल इस "क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल-1995" की प्रस्तुति और इसमें छुपी हुई मंशा और उसकी नीयत का विरोध करते हैं । इस बिल को पढ़कर और माननीय सदस्यों को सुनकर यह साफ जाहिर होता है कि यह बिल उस खतरे का आग़ाज है जिसकी भनक कई सालों से इस देश को मिल रही है । धीरे-धीरे इस देश में राजनैतिक एवं सामाजिक विचारधाराओं का पतन हो रहा है । एक वक्त था जब अपराधी अपनी जान को बचाने के लिये भ्रष्ट नेताओं की शरण में जाता था और एक वक्त वो आया कि अपराधी अपनी जान की एवज में नेताओं को उनकी कुर्सी तक पहुंचाने में मदद करने लगा और धीरे-धीरे वह नेताओं की मदद करने की बजाए खुद कुर्सी के करीब

[श्री राज बब्बर]

पहुंच गया । अपराध, अपराधी जगत और राजनीति ऐसे घुल-मिल गये हैं कि समाज में बुराइयों की बुराई करना एक असामाजिक बात लगने लगी है और बुराई को बुराई कहने वाला व्यक्ति बेचारा कहलाने लगा है ।

जब विचारधारा खत्म होती है तो व्यक्ति विशेष पनपने लगते हैं, स्वाभाविक गुण विशेष गुण कहलाने लगते हैं । अगर लोगों को यह विश्वास हो जाए कि अमुक व्यक्ति ईमानदार है तो वह इस देश का प्रधान मंत्री बन जाता है । शायद कल तक समाज में बदबू इस कदर फैल जायेगी कि सुबह मंजन और दातून करने वाला आदमी प्रधान मंत्री बन जायेगा महोदया, मैं इस बिल पर आता हूं । आने वाले कल में विचारधाराओं से कमजोर राजनैतिक लोग समाज को जोड़ने का काम तो क्या कर पाएंगे, उनकी सोच होगी कि लोग जुड़ें या न जुड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता । बहुत सारे लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, चन्द पुलिस अफसरों और ब्यूरोक्रेट को जोड़ना आसान होगा । अपराधों की शरण में निकली हुई राजनीति देश को क्या दिशा दे पाएगी, यह बिल इसका संकेत है । कल इस देश में पुलिस का राज होगा, ब्यूरोक्रेट का राज होगा, राजनीतिक विचारधारा समाप्त हो जाएगी । दिल और दिमाग, इंसानियत के मूल्यों एवं बौद्धिक तर्कों से महरूम विवेक शून्य हो जाएंगे । आखिर यह देश कैसे चलेगा । पढ़े-लिखे अधिकारियों से या पुलिस के डंडों से ? महोदया, आतंकवाद आज वास्तविकता है । जिंदगी का एक कड़वा सच है । दुनियां के किसी कोने में झांक कर देखें, आतंकवादी गतिविधियां कल से आज कहीं ज्यादा नजर आती हैं । तो क्या यह देश जो ऋषि-मुनियों, संतों, फकीरों की पवित्र भूमि रही है – (समय की घंटी)

मैडम, मैं माफी चाहता हूं आज मुझे कह दीजिए । अगर चाहेंगे तो इसके बाद में कभी बोलूंगा नहीं, वापिस चला जाऊंगा बहुत-बहुत धन्यवाद ।

आतंकवाद आज वास्तविकता है । जिंदगी का एक कड़वा सच है । दुनियां के किसी कोने में झांक कर देखें, आतंकवादी गतिविधियां कल से आज कहीं ज्यादा नजर आती हैं । तो क्या यह देश जो ऋषि-मुनियों, संतों-फकीरों की पवित्र भूमि रही है, को हत्यारों की सोच के हवाले कर दें, अपराधियों के हवाले कर दें ? इस देश ने बाल्मीकी को संत बनाया है । यह सच है कि जस्टिस ए० एन० मुल्ला ने पुलिस की तुलना डकैतों के गैंग से की थी । लेकिन फिर भी इस महान देश ने इनको अपना मुहाफिज समझा और इन मुहाफिजों ने ऐसे कानूनों का सहारा लेकर पंजाब की उस जांबाज धरती जहां पर चौड़े सीने वाले नौजवानों से भरी उस धरती के गांवों के अंदर एक बार तो ऐसा कर दिया कि किसी घर में 16 साल से लेकर 20 साल तक कोई भी नौजवान नजर नहीं आता था । मेरठ हो या बम्बई, आन्ध्र प्रदेश हो या किसी कस्बे का छोटा सा स्थान, खाकी वर्दी वाले मजलूम औरतों का बलात्कार करने से नहीं चूकते । भोलाभाला आदमी, अनपढ़ औरत जिसका बच्चा दूध नहीं पीता तो कहती है कि जल्दी से दूध पी ले, पुलिस आ जाएगी । इस देश का मामूली आदमी जो वहुनायत में है, पुलिस के नाम से कांपता है । क्या आने वाले कल में इस देश की नस्लों को भय और डर की तलवार के साए में जिंदा रखेंगे ? एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अन्तर्राष्ट्रीय उग्रवाद, दूसरी तरफ माफिया टैरोरिज्म, माफिया उग्रवाद, तीसरी तरफ राजनैतिक उग्रवाद और इस सबके ऊपर इस बिल के जरिये से स्टेट टैरोरिज्म का खतरा । इन सारे टैरोरिज्म के खतरे को तलवारों से इस मुल्क के नौजवानों को क्या हम कायर नहीं बनायेंगे? शायद कल इस देश में फिर कोई भगत सिंह, बलवन्त फड़के, सुभाष चन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, डा० लोहिया जैसे लीडर और स्वाभिमानी व्यक्तित्व पैदा नहीं होंगे ? इस देश की गरिमा ने यही सिखाया है कि प्यार से जीओ और प्यार बांटो । जिस देश के बच्चे प्रधान मंत्री

की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे, उसी देश के बच्चे प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुये लोगों को चोर, बदमाश, बेईमान कहें। उसी देश के बच्चों का चाचा बेईमान, धोखेबाज, भ्रष्ट हो जाए। बच्चों के प्यारे चाचा को हत्यारा मत बनाओ। ऐसे कानूनों को पनपने मत दीजिये। आतंकवाद की सबसे बड़ी खाद है– बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी। उसके लिये कानून बनाइये। जो बनाये हैं उससे भी बड़े कानून बनायें। कोई टाडा, कोई मीसा, कोई एन.एस.ए., कोई कानून चरार-ए-शरीफ को झुलसने और बाबरी मस्जिद को टूटने से, राधाबाई चाल को जलने से और बम्बई के बम विस्फोट को होने से नहीं रोक सका। अगर कोई चीज इन घटनाओं को रोक सकती थी तो वह थी इस हिन्दुस्तान की धरती की धरोहर, प्रेम, भाईचारा जो कहीं गुम हो गया है और गुम होता जा रहा है।

महोदया, सारे देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री के उन वक्तव्यों को याद करें, जिसमें उन्होंने सबसे कहा और सबने माना है कि टाडा जैसे कानून का दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग किसी पत्थर पर नहीं, सड़क पर नहीं, दीवारों पर नहीं हुआ, लकड़ी के कुर्सी पर नहीं हुआ, किसी कटी हुई शाख पर नहीं हुआ, अगर यह दुरुपयोग हुआ है तो इंसानों पर हुआ है। अगर यह दुरुपयोग हुआ है तो इंसानों पर हुआ है। पहले एक बार उन इंसानों को राहत दे लें। पुलिस वालों और ब्यूरोक्रेट्स की कमेटियां बनने के बजाय कुछ दिलवाले इंसानों की कमेटियां बना कर उन जख्मी दिलों पर मलहम लगाएं। आओ, हम सब मिलकर अपनी भूलों का प्रायश्चित कर लें। उन मजलूमों उन बेगुनाहों को मुक्त करें, उनके दिलों से दुआएं लेकर प्यार की फिजा बनाएं जिससे आतंक की गोली, चाहे आतंकवादी की बंदूक से निकली हो, चाहे पुलिस वाले की या सरकार की सोची-समझी हुई बंदूक से निकली हो, इस देश की एकता और अखंडता और धर्मों को छिन्न-भिन्न न कर सके। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता सबसे ऊपर है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सबके लिए भी लेकिन उससे भी ऊपर इस विशाल समाज की मानवीय गरिमा है जिसको अनदेखा न मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं क्योंकि मानवीय अस्तित्व के बिना न तो समाज की और न राष्ट्र की कल्पना संभव है। एक समतामूलक समाज की परिकल्पना के फलस्वरूप निर्मित संविधान में कानून की सत्ता सबसे ऊपर है और इस कानून का प्रथम दायित्व है व्यक्ति की मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना। इसलिए ऐसा कोई भी कानून जो व्यक्ति की गरिमा पर प्रहार करता हो या उसे बनाए रखने में सक्षम न हो तो उसे बनाए रखना या बनाना संविधान के प्रति बेईमानी है, संविधान निर्माताओं के प्रति अनादर है। टाडा एक ऐसा कानून था जो धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र के सभी सिद्धांतों, संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों, तमाम मानवीय मूल्यों, मर्यादाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं को ताक पर रखकर एक दशक तक नग्न तांडव करता रहा। आजादी के पहले से लेकर आज तक राष्ट्र के संविधान के नाम पर जितने भी कानून बने, चाहे वह मीसा हो, डी.आई.आर. हो, एन.एस.ए. हो या टाडा हो, सब आलोचना के शिकार हुए और उनकी परिणति बुरी हुई। मीसा तो अपनी जननी कांग्रेस की सरकार को निगल गया, खा गया। टाडा के दुरुपयोग को कुबूल करने के बाद जिस तरह से आनन-फानन में सरकार ने इस कानून को लाने का प्रावधान किया है, उससे उनकी नियत पर एक बार फिर प्रश्न-चिन्ह लग गया है मेरी पूरे सदन के सामने हाथ जोड़ कर विनती है कि पार्टियां और सरकारें तो बनती-बिगड़ती रहेंगी। हमें कल के लिए अपने बच्चों के स्कूल जाने के लिए कहीं ऐसा न हो कि उन बच्चों को खाकी वर्दी का सहारा लेना पड़े बल्कि उन्हें अपनी मां की ममता भरी अंगुली और अपने बाप की नेकियों का सहारा लेकर जाना पड़े। इसके लिए जैसा कि आप सब के दिलों में है कि यह बिल आतंकवाद के नाम पर आतंक फैलाने का आगाज है। इसके खिलाफ एकमत हो जाएं। एक बार फिर कहूंगा कि टाडा से पीड़ित बेगुनाहों को राहत दें और फिर उसके बाद इस देश

[श्री राज बब्बर]

के साथ द्रोह और इस धरती के साथ गद्दारी करने वालों को, इस देश के धर्मों कबीर, नानक और तुकाराम के विचारों, रवि शंकर की सितार, अल्ला रखा के तबले, बड़े गुलाम अली और भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व के स्वरों, बिस्मिल्ला खां की शहनाई, बेगम अख्तर की गज़लों बिरजू महाराज की थिरकन, मधुबाला की खूबसूरती और नर्गिस के अभिनय का कोई अपमान न कर सके। ऐसा कानून बनाएं जिससे आने वाले दिनों में कोई भी शैतान इस देश की मिट्टी का, इस धरती मां का अपमान न कर सके, ऐसा कानून बनाएं, यही मेरी विनती है आप लोगों से। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shri Ghulam Nabi Abad. (*Interruptions*)

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana): Madam, I am on a point of order. Actually, when my friend was speaking, I did not think it proper to interrupt him. But I would certainly like to request you to kindly give a ruling. My point of order is that under the Rules of Procedure of this House, no Member can read his speech verbatim. He can only refer to certain notes which he has. (*Interruptions*)....

SHRI V. GOPALSAMY: He was only referring... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Surjewalaji, there is no point of order. Shri Ghulam Nabi Azad, please. (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): It is a different thing that his whole speech was irrelevant. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM (West Bengal): Madam, we welcome Shri Azad speaking. But I would like to know whether he is intervening in the debate as a Minister, or he is speaking as a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He is speaking as a Member of the House.

SHRI E. BALANANDAN: Both capacities.

SHRI MD. SALIM: This is an extraordinary situation.

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): This is not extraordinary. Ministers have spoken earlier. (*Interruptions*) Apart from being a Minister, I am also a Member of this House.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): please go ahead.

**श्री गुलाम नबी आजाद :** मैडम, कल दो सदस्यों ने यहां पर चर्चा की और विशेषरूप से मेरा नाम लेकर बात कही। सुषमा स्वराज जी ने और जेठमलानी जी ने, उन्होंने कोई बुरी बात नहीं कही, बल्कि दोनों ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन एक चीज उन्होंने कही थी कि मंत्रिमंडल में रहकर मैंने कहा था—उनके अनुसार कि मैं सरकार को गिरा दूंगा। शायद यह किसी दूसरे ने कहा हो लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं सरकार को गिराऊंगा। मैंने हमेशा कहा कि मैं सरकार से इस्तीफा दे दूंगा।

**श्री लक्खीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश) :** दूसरे मंत्री ने कहा।

**श्री गुलाम नबी आजाद :** मैं अपनी बात कर रहा हूं। यह मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं सरकार को गिराऊंगा। मैंने कहा कि मैं सरकार से निकल जाऊंगा। दोनों में बहुत अंतर है, सरकार से अपने आप को निकालना और सरकार को गिराना, यह टाडा होने और टाडा न होने के बराबर है।

जहां तक टाडा का सवाल है मैं इस हाउस के सभी सदस्यों के साथ हूं, चाहे वे विपक्ष के साथ हों या कांग्रेस पार्टी के साथी हों, मेरे ख्याल में सभी इस कानून के दुरुपयोग के खिलाफ है । शब्द टाडा के खिलाफ कोई नहीं है, न सरकार है, न अपोजीशन के सदस्य हैं और न लैफ्ट लिंग पार्टी के सदस्य है । सब इसके दुरुपयोग के खिलाफ हैं । इसका जो दुरुपयोग हुआ, उसकी वजह से सरकार आज इस बात पर मजबूर हुई कि इस कानून को आज खत्म किया जाए । . . . (व्यवधान) . . . प्लीज । आपको मैंने कुछ कहा नहीं । मैं दो दिन से आपको सुन रहा हूं ।

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** (उत्तर प्रदेश) : अब तो टाडा नहीं है, अब तो बोलने दीजिए ।

**श्री गुलाम नबी आजाद** : मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं, आप तो क्या शायद हमारी पार्टी के भी बहुत से सदस्य नहीं जानते कि 1993 में वर्किंग कमेटी में पहली दफा इस मसले को मैंने उठाया था । प्रधान मंत्री जी को मैंने आंकड़े दिए थे । मेरे साथी धवन जी यहां बैठे हुए हैं, 1993 में मैंने कहा था । मैं सुन रहा हूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री जी इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं । लेकिन 1993 में, आज से ढाई साल पहले इलेक्शन की कोई बात नहीं थी और उस वक्त ऐसा सोचकर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था । जब प्रधान मंत्री जी को मैंने इस ओर ध्यान दिलाया--उनको इस लिए देता हूं बधाई कि उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग शाम को खत्म होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट में क्या हालत है । शाम तक, वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म होने से पहले कुछ राज्यों से उन्होंने आंकड़े मंगाए और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ बैठिए, हम सारे राज्यों को लिखेंगे, जहां-जहां इसका दुरुपयोग हो रहा है और प्रधान मंत्री जी ने 1993 में यह प्रयास किया । उन्होंने मुख्य मंत्रियों से बात की और उनको लिखा, उनसे टेलीफोन पर बात की कि इसकी जांच पड़ताल करवाई जाय कि क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है । आज हम देखते हैं और बहुत सारे हमारे साथियों ने यहां बताया कि 70571 केसेज थे और इनमें से 60 हजार छूट गए हैं और जेलों में सिर्फ 5000 लोग है । ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इसको उठाया और प्रधान मंत्री ने इस पर रीऐक्ट किया और 1993 से लेकर आज तक 70.50 हजार की संख्या 5 हजार तक पहुंच गयी है । तो यह प्रयास हम लोगों ने किया । जो हमारे साथी हैं, उनको शायद इसकी जानकारी नहीं है ।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Seventy thousand is the cumulative figure. It is not that it was 70,000 earlier and that it came down to 50,00.... (*Interruptions*)....

That is not the case. I am making a statistical point. It is the cumulative figure for the entire period.

SHRI GHULAM NABI ABAD: I am just saying that it has not gone beyond that at any point in time.

DR. BIPLAB DASGUPTA: It is a cumulative figure from the beginning until now.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That was the maximum number at any particular time.

DR. BIPLAB DASGUPTA: No, no, it was not the maximum number. It is the total until now.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Please. I will speak. You can correct me... (*Interruptions*).

Here is the Home Minister. Let us leave that to the Home Minister. He will correct it.
(*Interruptions*)....

DR. BIPLAB DASGUPTA: I am making a statistical point. I am not making a political point.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): Okay, your point is over now.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am just saying that the Home Minister will correct me. But, I came to know at that time that the number was plus 70,000. Efforts were made by the Prime Minister. No less a person than the Prime Minister was in touch with various Chief Ministers, and the outcome of that is that the number has come down to 5,000.

4 P.M. लेकिन ज्यों ज्यों मैं कई राज्यों मे घूमता गया मुझे लोगों ने बताया और उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख देख कर मेरा मन और भी भरता गया । यही कारण है कि अप्रैल, 1994 में 13 महीने पहले जब दिल्ली में आल इंडिया उर्दू कान्फ्रेंस हो रही थी 23-24 अप्रैल, को, उसमें हमारे साथी राज बब्बर भी थे और बहुत सारे राजनीतिक दलों के साथी थे उसमें मैंने पहली दफा अपने इस्तीफे की बात कही थी । यह कोई इलेक्शन से जुड़ी हुई बात नहीं थी जिसको मैंने बार-बार कहा । मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं कि यह कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, इस बात के लिए कह रहा था, जितना हम देख रहे थे, मैं इस बात को भी क्लीयर करना चाहता हूं कि मैंने कभी इस बात को अल्पसंख्यकों से नहीं जोड़ा । मैंने हर वक्त दो साल लेकर आज तक हर मीटिंग में, हर सभा में, हर प्रेस कान्फ्रेंस में, हर पब्लिक मीटिंग में कहा है कि जहां अल्पसंख्यक इसमें बन्द हुए है वहां बहुसंख्यक लोगों को भी इसमें बंद किया गया है । झूठे तरीके से बंद किया गया है । (व्यवधान) नम्बर मैं नहीं देना चाहता क्योंकि प्रोपोर्शनेटली फिर यह बराबर हो जाता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है लेकिन सवाल नम्बर का नहीं है कि कितने अल्पसंख्यक थे और कितने बहुसंख्यक थे, सवाल यह है कि जो इन्नोसेंट लोग थे, इन्नोसेंट लोग कौन होते हैं ? इसका इस्तेमाल या तो पुलिस के जरिए हुआ है या राजनीतिक नेताओं ने अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए या बदनाम करने के लिए या उनसे बदले की भावना से इस्तेमाल किया है चाहे वह मेरा दल हो या कोई तीसरा दल हो । मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं चाहे हमारे दल की सरकारें हों या किसी दूसरी अपोजीशन पार्टी की सरकारें हों । इसलिए हमारा जो रोष है वह टाडा शब्द के साथ नहीं है बल्कि शब्द जो दुरूपयोग हुआ है क्योंकि यह टाडा बना था टेररिस्ट्स के लिए टाडा बना था जो हिन्दुस्तान के खिलाफ हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता और स्वतंत्रता के लिए खतरा बने, उनके लिए टाडा बना था । यह राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए नहीं बना था । पुलिस ने रिश्वत खाने के लिए पुलिस ने इसको धंधा बनाया था कि एक लाख दे दो, दो लाख रुपया दे दो नहीं तो टाडा में अन्दर चले जाओगे, इसके लिए टाडा नहीं बना था । आज हम इस बात का क्लीयर गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जहां तक देश की एकता और अखण्डता का सवाल है, राष्ट्र की एकता और अखण्डता को जो भी खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो उसके लिए सब से सख्त टाडा तो क्या 100 टाडा के बराबर कानून बनना चाहिए । मेरे ख्याल में चाहे इस तरफ के सदस्य हों या उस तरफ के सदस्य हों, इसमें किसी को रोष नहीं होगा । मैंने आज तक हिन्दुस्तान में ऐसा आदमी नही देखा होगा विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में जो मुझ से इस तरह की शिकायत करते आए हैं, जिन्होंने यह कहा हो कि इसको देशद्रोहियों के खिलाफ मत करिए । देशद्रोहियों के खिलाफ तो इससे भी जबरदस्त कानून होना चाहिए कानून तो क्या बल्कि शूट एट साइट होना चाहिए । क्योंकि बंद करते है तो फिर रेनराम मांगते है और भी मुसीबत करते हैं और लोगों को मारते हैं । इसलिए हमारे जेहन में क्लीयर होना चाहिए कि इसका दुरूपयोग कभी नहीं होना चाहिए । मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कानून इस बदले मे लाएंगे, उसके लिए भी राज्य सरकारों को बताना चाहिए कि यह सिर्फ टेररिस्ट्स के लिए होना चाहिए और एंटी इण्डिया फोर्सेज जो राष्ट्र की एकता

और अखण्डता के लिए खतरा बने उनके खिलाफ इसका उपयोग होना चाहिए। गरीब लोगों के लिए इसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it is just a statistical point.

SHRI GHULAM NABI AZAD: You can ask the Minister.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, it is just a small point. The impression which has been created by the Minister's speech is that the arrests under TADA had reached a peak of 70,000 and then it came down to 5,000. The point is that 70,000 is for the entire period up to December, 1994. The point is this the figure is from the beginning of TADA, until December, 1994. That is the period. In total, 77,571 arrests were made. Out of that... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Dr. Biplabji, I have not given you permission. Please sit down... (*Interruptions*)... Will you please sit down now? Shri Jagmohanji.

SHRI JAGMOHAN (Nominated): Thank you, Madam.

I have been sitting throughout this debate and I have heard my colleagues very attentively. But I must say that very few Members have touched the basic issues involved. What is the foundational plank of this house of terror? Why is this terrorism taking place? It is true that there are economic and social imbalances in our society and they contribute to terrorism. But there is another reason for it and it is equally important. The basic reason is the political and the social ethos of the country. Misuse of TADA is not misuse of law as a special case. This is not the only law which is being misused. Many other laws are being misused. It is because of the political sense. Only recently we have had a case of Haryana police officials who have been sentenced by the Supreme Court. They were not misusing TADA. They were misusing the other laws, a bad name is being given to the law that it is being misused. Yes, if it has been misused. then, take action against those people who have misused it. Don't throw away the TADA lock, stock and barrel because it is very much needed. I have heard emotional speeches here. But let us understand what is the fate of the person whose daughter is kidnapped, what is the fate of the person whose child is kidnapped, what is the fate of the persons whose parents are killed before their eyes

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, to deal with kidnapping, the hon. Member wants TADA. It is a good thing.

SHRI JAGMOHAN: Please let me finish because you have all spoken. It depends on which side of the fence you are. Only then you will realise what it is. Madam, Shri Ghulam Nabi Azadji has said very correctly what the sufferings of the people are because of this. They say that they want freedom. They say that they want the rule of law. It is precisely because of this that TADA is needed, to bring about that rule of law. It is needed because freedom is required. Everybody is now terrorstricken in this country. Even a child who goes to a school is not sure whether he will come back from the school to the house without any harm. What are we saying? Yesterday it has been said that TADA has not been able to control terrorism and therefore; it should be scrapped. But is it the fault of TADA or is it the fault of the ineffective implementation of TADA? It has been ineffective because the Government doesn't have the will to implement it. That is why these problems have arisen in this country.

I will give you one instance. Take the case of Jammu and Kashmir. The Government has not been able to convict even the kidnapper of the daughter of the then Home Minister. The Government has not been able to take any action against the person who has kidnapped and killed the Station Director of the All India Radio or Doordarshan. The Government has not been able to take any action against the murderers of the four IAS Officers. They were all arrested but the Government has not been able to prosecute them even though five years have passed. The Government has not been able to take any action against the murderers of Maulvi Mirvawaiz Farooq, although they have been arrested. So many other people have been murdered. The Minister can tell me whether the Government has been able to convict anybody even in a single case. The Government has not been able to convict anybody because they don't have the will to implement it. On the other hand you take the case of officers. In reply to a question of mine, the Minister has stated that 160 officers have been dismissed or prosecuted because of alleged excesses. There the Government has been able to punish them. The Government has been able to dismiss them. The Government has been able to jail them because the Government has the will to do it. The Government has dealt with them under an ordinary law. The Government did it under Departmental rules Now, the Government has got this TADA and they have not been able to convict even a single person. It it the fault of the law or is it the lack of will on the part of the Government to implement it or is it due to lack of political honesty? It is the lack of honesty. The rule, the law, the Constitution only gives you the framework. They give you a body But what keeps the blood purified is your own conscience. If you have got an awakened conscience in the nation, then your laws will be implemented honestly and impartially. We have made the police a handmaid of the ruling party whosoever becomes the ruling party. (*Time-bell rings*). Madam, I am telling you concrete facts. Please give me a little more time. I will not beat about the bush, but will give you concrete facts. That, infact, is my whole difficulty with this debate Everybody has just gone on vague and general. Nobody has quoted the precise points. Many people have said that there has been a misuse of the TADA. Tell me about a single judgement of the Supreme Court or a High Court or any other Court where strictures have been passed that the TADA has been misused. Mr. Ram Jethmalani was eloquent. He made so many points. All those points were made in the Supreme Court and the Supreme Court repelled those points. I find only one fault with the statement made by the hon. Home Minister. He was right when he defended the TADA. But he was wrong when he said that it had been misused. Why did he take the blame on himself or put the blame on the TADA? He should have put the blame on those who misused it. He should have exposed them. He should have told the nation that the Gujarat Government and the Maharashtra Government had done so. Why did he give a bad name to the TADA? You should defend it on the ground of reality. This is the reality. Now, we are sitting in this Houes today. I can tell you, if there had been no TADA, I wonder whether we would have been able to hold these meetings here. And what would have been the impact of terrorists? You do not know. We now see Punjab. How has it happened? All the courts had become dysfunctional. We are talking about the rule of law. Now, it is because you have taken strong action in Punjab that the courts have come back, the rule of law has come back. Even the courts are now asking for action against the police.

Where were they before? They were not able to take any action. The point is, at one stage or the other, you have to do it.

It is also a fault of our system that we created a situation when the TADA took birth and the terrorist took birth. It is also because of the permissiveness and softness of the society. The society has got disrespect for the laws. It is not attached to its laws; it is just superficially attached to its laws; it does not implement its laws; it does not respect its laws. This is the fault. If you implemented the laws effectively, there would have been no TADA. If you had been deterrent in your action, you would have had no problems at all and you could have contained it much earlier then now. It increased because of this.

The other basic point is this. Madam, you have already rung the bell. I will give you only one suggestion which I have. This will help in solving the problem in a practical way. We must understand what contemporary terrorism is. It is not just like that that anybody comes and commits a crime. You have always been, yourselves, saying that Pakistan is sponsoring it, the militants are sponsoring it. There is a religious fundamentalism involved in it. There are so many techniques that are available. So many sophisticated weapons are involved in it. And terrorism is a war by an invisible army. It has no frontiers. It has no clear points where you can take action. So, you have to have a different technique to follow for these things. You have to have stringent laws to deal with them. You see millions of arms and millions of tonnes of ammunition come in. Who is financing them? How will you take action if you say, "We will apply this law only in this region and no further"? It is a network, an international network. How can you control it by restricting to a particular area? It is impossible. The conspiracy spreads over the Union. And it is, therefore, necessary for you to have the law. I can say that you can really serve your own purpose by effectively implementing this law. If it is effectively implemented, you will require it only for a shorter period, a much shorter period, you will not prolong the agony of the people, you will not prolong the agony of the Kashmiris or the Punjabis who are living in fear.

Madam, I have so many other points to say. But I value discipline more than anything else and so, I will not take much time. In the end, I will just make a few suggestions.

Sir, make the law a pointed law. Just take a narrow base and define it in a pointed way and then take strong action on that point. Make the implementation machinery effective. Even if you had convicted four-five people, I think; the problem would have been over long ago but you have not been able to do so. Then divide the regions into various areas, scheduled and non-scheduled areas, scheduled where terrorism is at its peak just like in Kashmir, Assam and so on. For the other areas where terrorism is not so strong, non-scheduled areas, make provision for liberal bails and so on. And if you think that a young actor or any other person has been wrongly involved, although he did some defalcation, he did some mistake, he is not a terrorist in any way, then use your pardon, use your revision in one or two cases. What are these powers meant for unless you want to use them in the interest of justice? Use them in the interest of justice, use them in the interest of fairplay if you think that injustice has been done by too rigid an application of law in this case. What is the harm in doing so? Therefore there are remedies available provided we are willing to follow them

And, lastly, much has been said about democracy; rule of law and all those things, and I tell you when the American plane TW was hijacked from Athens, what this home of democracy said. They said, "Terrorists have no rights at all." To use the word 'democracy' in their case is a disgrace to the word 'democracy'. And when you know that they threatened, they went and bombed Libya, under what law did they bomb Libya? They come and tell us of human rights, but what did they do themselves? They say, it is savagery, it is primitivism!..... (*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Jagmohanji, will you please wind up?

SHRI JAGMOHAN: I will, Madam. So, I have been only saying that these are the points which I have suggested for this. And one more point I would like to make is about the prosecution of police officers. The fact is that hardly any police officer takes action unless it is approved by the highest political authority in these matters. Why do you put the blame on the police officers? My own experience is that if you leave the police officers defenceless, what will happen is that the dishonest officers will prosper; they will just go for fifty-fifty with the people. The honest man who wants to take action, will invite all the complaints: he will be in the dock: he will be going to the courts every now and then. You have to give protection to these officers; otherwise, the result would be counter-productive. Of course, when the Government is convinced that this officer has done a wrong, it can always give the sanction, but do not give blanket powers. Use 197 Cr. PC always; otherwise whatever little remains of the administration will also be destroyed and if you destroy the administration no law will be implemented and no freedom will be there; no democracy will be here. thank you.

**श्री मोहम्मद सलीम** : मैडम्, कल से इस विधेयक के ऊपर चर्चा चल रही है। हमारे नाम विद्वान साथी इसके अलग-अलग पहलुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अब यह चर्चा आखिरी दौर में है। इस बिल से संबंधित जितनी भी आवश्यक बातें हैं, वह किसी न-किसी सदस्य द्वारा आपके और सदन के सामने रखी गयी हैं।

उपसभापति पीठासीन हुई।

मैडम्, आज 23 मई, 1995 को यह जो "टाडा" कानून है, "बदनाम जमाना" यह खत्म होने वाला है। मैडम्, हमने यह कानून बनाया था टैरेरिज्म को रोकने के लिए, लेकिन यह कानून पूरे मुल्क को टैरेराइज कर रहा है और जो सामान्य विधि है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसमें "टाडा" इनवेड कर रहा है। यह कानून खुद जिस तरह से बदनाम हुआ जिसकी चर्चा सिर्फ दो दिन से नहीं वरन् हम कई वर्षों से यहां कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब ने खुद उनकी जुबानी पार्लियामेंट में कहा है कि यह कानून मिस-यूज हुआ है, मुख्य मंत्रियों ने कहा है और सभी पक्षों के लोगों ने बार-बार "टाडा" के खिलाफ कहा है, लेकिन आज नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, दूसरे नकाब के जरिए, हमारी जो सामान्य विधि है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें इसे लाया जा रहा है, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मैडम्, यह एक क्लासिक एक्जाम्पल है कि हमारा यह सरकार किस तरह से सोचने में देर लगाती है, समय पर निर्णय नहीं ले पाती और अगर लेती भी है तो इनकी इतनी "कनफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड" होती है कि यह किस तरह का कदम उठाएंगे, यह उन्हें मालूम ही नहीं होता और हमारे मुल्क में कोई भी समस्या दरपेश हो हुकूमत के सामने, यह उदाहरण है कि हमारे प्रधान मंत्री हों या गृह मंत्री हों, वह फैसला लेने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं और इनके कदम डगमगा जाते हैं। मैडम्, इन्होंने कहा था कि "टाडा" को हम रिपील कर देंगे। टाडा को खतम कर देंगे, फिर टाडा को हम रिप्लेस करेंगे, टाडा के अन्दर जो ऐसे कुछ विधान हैं जिससे मिसयूज होता है उसे रोकने के लिए हम ऐसे

संशोधित करेंगे और आज आप कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल ला में अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे । वैसे क्रिमिनल ला में कई बार संशोधन हुये हैं, लेकिन आज का यह जो संशोधन है, एक नया कानून स्टेटुटरी बुक में डाला जा रहा है । यह कोई आप एक सक्शन, दो सेक्शन इधर उधर से लाकर उसके विधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे जो सामान्य कानून हैं उसे आप एक काला चेहरा दे रहे हैं, एक लीपापोती कर रहे हैं, ब्लेक पेंट लगा रहे हैं, जो हमारे मुल्क की एक सामान्य विधि है उस पर ।

मैडम, उनकी आर्गुमेंट, उनका तर्क यह होता है कि टेरारिज्म को रोकने के लिए हमारे मुल्क के जो कानून हैं, वह सफिसिएंट नहीं है । आर्डिनरी जो ला हैं, वह सफिसिएंट नहीं है और इसलिये जो है हमें कड़े से कड़ा कानून चाहिये । अभी जगमोहन जी भी बोल रहे थे । ऐसे तर्क हमें टाडा तक ले आये । टाडा के दस साल इस्तेमाल के बाद हम कहां पहुंचे ? मैडम, आज होम मिनिस्टर साहब टाडा बेच रहे हैं । सड़क के किनारे जो तेल बेचता है सिर में लगाने वाला तो वह भी यही कहता है कि लगाकर देखो, इसका फायदा क्या है । आपने दस साल पहले टाडा लगाया और आप खुद कहते हैं कि टेरारिज्म बढ़ रहा है । पहले दो साल के लिये आपने लगाया था, उस समय आपने सदन को यह कहा था कि आपका टारगेट दो साल के अन्दर टेरारिज्म को रोकने का है । अब 1985 से आज तक दस साल हो गये और आज आप कहते हैं कि यह सिर्फ दो साल वाला कानून नहीं, परमानेंट स्टेटुटरी बुक में डालना पड़ेगा और कोई रेस्ट्रेक्टेड एरिया या डिस्टर्ब एरिया के लिये नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क के लिये इसे करना पड़ेगा । आप बतायें, आपके कड़ कानून से फायदा मिला या नुकसान हुआ ? आपने टाडा के इस्तेमाल से क्या महसूस किया?

मैडम, अभी राज बब्बर जी कह रहे थे, दूसरे साथियों ने भी कहा और कल हमारे विद्वान जेठमलानी जी कह गये कि किस तरह से टेरारिज्म बढ़ता क्यों है? अगर यह नहीं समझेंगे तो आपके दफ्तर के लोग आफिस के चेम्बर में बैठे हुये सिर्फ सेक्शन डालेंगे तो सेक्शन से कैसे हम रोक पायेंगे ? आपने देखा, कुछ सेंसलेस वायलेंस हमारे मुल्क में हुये । हमने 1985 में जब टाडा बनाया था तो हमने यह देखा कि पंजाब के टेरारिस्ट पंजाब स्टेट से बाहर निकल कर आये और ट्रांजिस्टर बम दिल्ली में, राजस्थान में, यू.पी. में, बिहार में देखने सुनने को मिले और सब जगह, डी.टी.सी. की बस में, दूसरी जगहों पर लिखा गया कि किसी भी लावारिस सामान को कोई हाथ न लगाये, अपनी सीट पर झांककर बैठे । एक ऐसी स्थिति बनी को आपने यह 1985 में, एक खास वक्त में यह टाडा बनाया था और उस वक्त भी हमारी पार्टी की ओर से कहा गया था कि इससे ऐसे प्रावधान हैं, जिसके कारण इसका मिसयूज हो सकता है और हुआ । आज आप उसका पूरे मुल्क में विस्तार करना चाह रहे हैं ।

मैडम, जो सेंसलेस वायलेंस है उसे आप अगर रोकना चाहते हैं तो उसके लिये आपके पास कड़े कानून हों, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप यह स्पष्ट करें कि आपका दिमाग कितना साफ है, आपकी पोलिटिकल विल कितनी पाक है और आप किस तरह से निर्णय लेते हैं ? यह भी जानना जरूरी है कि आप घुटने टेक देते हैं चेलेंज के सामने या आपके घुटने कांप जाते हैं या स्ट्रेट रहकर, घुटने में प्लास्टर लगाकर आप खड़े रह सकते हैं । (**समय की घंटी**) .....

मैडम, दो चार मिनट का समय मैं आपसे मागूंगा । कई दिनों से हम लोग यह बात कहना चाह रहे हैं, आज तो यह कानून भी ले आये हैं और इसके बाद चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि दो चार साल तो आप पार्लियामेंट भी नहीं आयेंगे, परमानेंट उसका कानून बनाये दे रहे हैं ।

मैडम, क्या इनकी पोलिटिकल विल ठीक है, टेरारिज्म को हटाना चाहते हैं, जो टेरारिस्ट हैं उनको सजा देना तय है ? मैं बताना चाहूंगा, आपको हैरत होगा

इसी माननीय सदन में हमारी एक माननीया सदस्या हैं इसी सदन की, उनके हसबैंड का कत्ल किया गया था, टेरारिस्टों ने मारा था, वह विधवा इस सदन में मौजूद हैं, असम के टेरारिस्ट ने मारा था आपने विधवा को टिकट देकर यहां एम.पी. बना दिया, लेकिन जो टेरारिस्ट पकड़े गये, टाडा के अन्दर पकड़े गए उन्हें एक साल के अन्दर आपने उसे छोड़ दिया । केस विदड्रा कर लिया । आप टेरेरिस्ट को पकड़ना चाहते हैं ? जो इनोसेंट लोग हैं, उनको आप बरसों जेल के अन्दर सड़ा रहे हैं, और फिर आप यहां आकर कहते हैं कि हमें कानून चाहिये, सख्ती से पेश आना पड़ेगा? आप जो टेरेरिस्ट हैं, उनको नही पकड़ना चाहते । आज जो सही मायनों में गलती कर रहा है, उनको सजा नहीं देना चाहते । आपकी सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको वे डराना चाहते हैं, खौफ में लाना चाहते हैं । एक ऐसे माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रेकुनियत लाज हो और लोगों में खौफ पैदा हो और उस खौफ में टेरेरिज्म पलता है, बढ़ता है । चाहे टेरेरिस्ट हों, चाहे आप हों आप एक खौफ का माहौल बना रहे हैं, इस कानून के जरिये आप उसे खत्म नही करगें । मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, कल कहा गया कि किस तरह से टेरेरिज्म होते हैं, वह कानून का नकारते हैं तब वह टेरेरिस्ट बनते हैं और उनको आप कानून बना कर रोकना चाहते हैं । आप कानून बना कर डरा रहे हैं तो जो ला एबाइडिंग सिटीजन है उनको डरा रहे हैं । जो कानून से डरता है कि यह काम करना है यह नहीं करना है और उसको आप और डरा रहे हैं । मैडम, हमारे लीगल सिस्टम में जो डेमोक्रेटिक एलीमेंट हैं, आज के बाद यह कानून अगर पास होगा तो वह डेमोक्रेटिक एलीमेंटस खत्म हो जायेगा लीगल सिस्टम में, फेथ नहीं रहेगा नौजवानों का । जो डिस्कांटेंट उनके अन्दर हैं, उस रास्ते पर धकेल रहे हैं, उनको कि लीगल सिस्टम के बारे में उनके मन में अगर थोड़ी-बहुत भी कुछ आस्था होगी, वह भी खत्म हो जायेगी । आप उस आस्था को खत्म मत कीजिये, आप उन्हे टेरेरिज्म के रास्ते पर मत धकेलिये । आपको पोलिटिकल विल देखना पड़ेगा । सोशियल पोलिटिकल इकनामिक सिचुएशन में ऐसी हालत पैदा होती है, जो बाहर से मदद लेकर के वायलेंस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नही कर रहा हूं, उससे आप कितनी सख्ती से पेश आयेंगे, वह तो हम देख चुके हैं । लेकिन जो डिस्कांटेंट पैदा होता है और उससे जो एक्सट्रिमिज्म पैदा होता है, उसका अगर आपको मुकाबला करना है तो आपको पोलिटिकल विल चाहिये । आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? पैकेज के बारे में सोच रहे हैं । चुनाव से पहले वादा करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं । आज भी अगर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये आप पंजाब में शांति ले आये हैं तो आप इस भ्रम में मत बैठे रहिये कि पंजाब का मसला हल हो गया है । जो रूट काज हैं, जो सोशयिल, पोलिटिकल, इकनामिकल जो रूटस हैं, वे आज भी मौजूद हैं और आज भी कोई नौजवानों को गलत जगह पर भड़काने के लिये इस्तेमाल कर सकता है । कश्मीर के बारे में भी वही बात है । आप कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे जिससे आपकी पोलिटिकल विल या इंटरेस्टि का मुजाहरा हो। आप सिर्फ किस तरह से हम औजार ले आयेंगे, कितने ताकतवर, कितने मीटर से गोली चलाई जायेगी, कितने दिन तक उनको बन्द रखा जायेगा, पुलिस के हाथ में कितना अख्तयार होगा, यह दिखाकर क्या आप टेरेरिज्म को रोक पायेंगे, टेरेरिस्ट एक्टिविटीज को रोक पायगे ? बंगाल में हमारा उदाहरण है, मैं बार-बार यह कहता हूं कि वहां नेक्सेलाइटस थे, एक्स्ट्रीमिस्ट के रास्ते पर गये थे और उसके बाद बंगाल में जब हमारी गवर्नमेंट आई 1970 में तो हमने पहला फैसला यह लिया, उस समय मीसा था बाद में आप एन.एस ए. बनाए कि हम यह काला कानून इस्तेमाल नही करेगें और हमने नहीं किया । आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया, आंध्र प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, करते आये और आज इन

सब जगह पर एक्स्ट्रीमिस्टस बढ़े और बगाल मे वह घटा है। क्योंकि हमने पोलिटिकल जो रूट काज है, उनसे हमने एडजस्ट करने की कोशिश की है। जो बहके हुये नौजवान हैं, उन्हें वापिस लाने की कोशिश की है। आप कश्मीर को देखते हैं, नार्थ-ईस्ट में आप मिलिट्री भेज रहे हैं, जगमोहन जी के मशविरे में। जैसे कश्मीर पर वह फार्मूला देते हैं, वैसे नार्थ-ईस्ट में रोजाना नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हरेक स्टेट में आप फोर्स भेज रहे हैं, औआर भेज रहे हैं। काला कानून भेज रहे हैं लेकिन आप आजादी के 47 साल बाद भी न तो वहां के नौजवानों को हमारे साथ जोड़ पाये हैं और न वहां से टेरेरिज्म को खत्म कर पाये हैं। दार्जिलिंग में, विदेश से मदद लेकर, आपकी दिल्ली में बैठी हुई सरकार से मदद लेकर दार्जिलिंग में एक्स्ट्रीमिस्ट के रास्ते पर वहां के कुछ नौजवान गये थे और हमने वहां पर पोलिटिकल बैटल लड़ा। आज दार्जिलिंग में पीस तो है, शांति तो है, जो मुल्क को तोड़ने वाली ताकतें थी, उनको हमने खत्म किया। दार्जिलिंग और कश्मीर का मामला एक जैसा नहीं था। (समय की घंटी) एक जैसा नहीं है, लेकिन एक ही वक्त पर शुरू हुआ था लेकिन आज कश्मीर का मामला कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है। आप सिर्फ लाठी डंडा और कानून के जरिये अगर हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे तो खतरनाक जगह पर आप जा रहे हैं।

मैडम, रिव्यू के बारे में हम लोगों ने कहा था। आज कानून खत्म हो जायेगा हमारी आपत्ति है, मंत्री जी ने कल कहा इंट्रोडक्शन के टाइम पर कि जो लोग टाडा के अन्दर पकड़े गये हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन टाडा के जो हैं उसके अन्दर जो चल रहा है वह चलता रहेगा। आप कहते हैं सेक्शन 5, जो पोजेशन आफ आर्म्स है, ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि सेक्शन 15 आफ टाडा, पुलिस के सामने जो एवीडेंस करेंगे, वह ठीक नहीं है और जब ठीक नहीं है तो उस सेक्शन के मुताबिक सजा क्यों मिलनी चाहिये? केस क्यों चलेगा? मैडम, सिर्फ यह कंफ्यूजन का मामला नहीं है अपने अन्दर में। इसकी कुछ एग्जाम्पिल ऐसी हैं कि टाडा को लेकर के सदन को किस तरह से गुमराह किया गया। अभी विप्लव दासगुप्त जी बोल रहे थे। मिसलीडिंग इंफार्मेशन देते हैं जब भी हम सवाल पूछते हैं कि टाडा में कितने लोग गिरफ्तार हैं। वह कहते हैं कि सिंस 1985 टू डेट, दिसम्बर 1985 तक 76 हजार लोग हैं। इसका मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव है। हमने गोरखा लैंड के जमाने में दार्जिलिंग में टाडा का इस्तेमाल किया था और जब पोलिटिकल सैटलमेंट हुआ, उन सबको रिलीज कर दिया, केसेज वापिस हो गये। लेकिन आपके फिगर्स में वह अभी भी मौजूद है। मैडम, वह परसेंटेज किस तरीके से मिसलीडिंग होता है, होम मिनिस्टर साहब समझेंगे। जिस थाने में छोटी-मोटी चोरी साईकिल वगैरह की होती है, तो पुलिस क्या करती है? जब पिछली बार 10 चोरी हुई थी तो उनमें से दो ढूंढकर मिल गयी थी। इस बार क्या करते हैं, दस चोरी होने के बाद और भी दो-चार चोरों को बुलाकर बोलते हैं कि और भी दस चोरी कर लो। दस चोरी करके तीन वापिस ले लेते हैं और मात चला जाता है। लेकिन परसेंटेज में वह बढ़ जाता है। वह कहते हैं कि पिछले साल से कानून की व्यवस्था अच्छी हुई है। अभी गुलाम नबी आजाद जी भाषण देकर के बोल रहे थे कि मैंने वर्किंग कमेटी को बताया, यह नहीं बताया कि किस वर्किंग कमेटी को बताया था। लेकिन वर्किंग कमेटी में यह बताया था कि टाडा बड़ा खतरनाक है और उसका मिसयूज हो रहा है और इसलिये 76 हजार से घटकर वह 7 हजार हो गया। टाडा के अन्दर कभी इतने बुक नहीं हुये थे, वह क्यूमूलेटिव इफेक्ट है। हर साल कुछ-कुछ करके बढ़ता रहता है। होम मिनिस्टर को जितनी बार भी हम लोगों ने पूछा, हमारे पास उनका जवाब मौजूद है। उन्होंने स्टेट-वाइज, ईयर वाईज ब्रेकअप दिया है। मंत्री महोदय, अगर उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो यह

मालूम हो जायेगा कि कितना था । वह जब भी रिलीज की बात करते हैं, जेल के अन्दर जो लोग हैं उनकी संख्या बोलते हैं । जो अनबेल्ड हैं, केस तो चल रहे हैं, जो वापिस नहीं हुये हैं, जिनको कोर्ट से बेल नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या होगा ? वह नम्बर आप क्यों नहीं बोलते हो ? वह भी तो उसके अन्दर पड़ेगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salim will you please wind up?

**श्री मोहम्मद सलीम :** दास्तान लंबा था, मैं शॉर्ट कर रहा हूं ।

**उपसभापति :** वह क्यूमूलेटिव इफेक्ट नहीं हो जाये ।

**श्री मोहम्मद सलीम :** क्यूमलेटिव इफेक्ट नहीं होना था । लेकिन कल हमें याद आ गया । मैडम, कल आप थी नहीं, और इत्तफाक से मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और वे तमाम मंत्री यहां हाजिर थे जिन्होंने किसी न किसी टाडा को पायलट किया गया इस हाउस में । चिदम्बरम् जी भी थे । इन्होंने हमारे हाऊस में 1989 में पायलट किया था । कल बूटा सिंह जी भी आ गये थे इत्तफाक से । यह 1987 में टाडा के पिता बने थे । अशोक सैन जी भी 1985 में इसके पिता बने थे और अभी आप परमानेंट पिता बनने जा रहे हैं इस कानून का । तो आप देख लीजिये, बूटा सिंह जी 1987 में टाडा के पिता बने थे और 1989 में उनकी हालत क्या हुई थी ? लोग भूल गये थे और आपको भी भूलने चलेंगे, आपकी हुकूमत को और आपकी पार्टी को भी । मैडम, अभी मैं यह कह रहा था—लास्ट पोइंट है । जो खतरनाक है, हम इसे ह्यूमन राइट के एंगिल में, डेमोक्रेसी के एंगल में नहीं देख करके कांग्रेस पार्टी और बाकी दूसरे लोग सब इसको कम्यूनल एंगिल में देखते रहते हैं और ऐसा आज भी कर रहे हैं । कोई भी ऐसा निर्णय जिसकी डेमोक्रेसी के लिये जरूरत है, आपको निर्णय लेना पड़ता है । आप जब उर्दू कान्फ्रेंस में जाते हैं तो भाषण दे दिया कि टाडा खराब है । जब आप इमाम की मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि टाडा खराब है । अभी तीन रोज पहले जिस रोज हाऊस में यह बिल इंटरोड्यूज हुआ था, टेलीविजन पर दिखाते हैं कि कुछ मुस्लिम लोगों की प्रधान मंत्री के घर में मीटिंग थी और वहां वह भाषण दे रहे हैं कि हमें पक्का यकीन है कि आज एक बिल आयेगा और टाडा खत्म हो जायेगा । किसको इशारा करते हैं । आप कानून बना रहे है पार्लियामेंट में, लेकिन आप कम्यूनल एंगिल से दिखाते हैं । लेकिन टाडा का मामला न तो मुस्लिम का था, न हिन्दू का था वह अभी लीगल सिस्टम का मामला है । आप अगर बोलेंगे कि डेमोक्रेसी सिस्टम ठीक नहीं चलता, इतना प्रोब्लम, इतना घोटाला होता है, तो चलो इसको डिक्टोरियल कर देते है । जगमोहन जी का ऐसा आर्गुयुमेंट हो सकता है । लेकिन सवाल यह है कि आप इसको कम्यूनलाइज क्यों करते हैं ? अगर यहां से आपको समथन मिलता है टाडा के बारे में, तो गुजरात इलेक्शन के पहले टाडा के स्पेशल कोर्ट के जज के तबादले के लिये भारतीय जनता पार्टी बन्द बुलाती है, गुजरात में, कम्युनलाइज करने के लिये और हिन्दू और मुसलमानों के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं कानून के लिए गुजरात में रिजल्ट क्या हुआ, आपको मालूम है । वह पोलिटिकल गेन करना चाहते हैं और आप उस गड्ढे में पड़ते हैं ।

.. **(व्यवधान)**

गुजरात स्पेशल कोर्ट टाडा कानून के तहत बना था और इसी मुल्क में कोई जज के तबादले के बारे में कोई पोलिटिकल नेता कभी कोई बन्द नही बुलाता था । लेकिन बुलाया गया इस मुल्क में । लेकिन बुलाया गया इस मुल्क में जज के तबादले के सवाल पर । क्यों कम्यूनल एप्लिकेशन हो रहा था । जब गुलाम नबी जी कहते हैं 93 की वर्किंग कमेटी में उन्होंने कहा था कि मिसयूज हो रहा है । 1992 के मार्च महीने में इस सदन में

[श्री मोहम्मद सलीम (क्रमागत)]

पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा कि मिसयूज हो रहा है। 92 से आज तक इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है। संख्या उसकी कम हुई है लेकिन क्यूमलेटिव इफेक्ट हुआ है पोलिटिकली और वह ऐक्यूमुलेट हुआ है।

मैडम् मुझे याद आ रहा है यह इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन इसी तरह से होता है। आप चाहते हैं कि इस सेक्शन का वोट लेना है उस सेक्शन का वोट लेना है तो चलो भइया इसको कम्युनल करके ऐसा करना है। जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी हो रहा है, टाडा जा रहा है। फिर अपीजमेंट ऑफ बी०जे०पी० होना चाहिए कि चलो भई, एक जनरल कानून लाना चाहिए। टाडा को भी इंस्टिगेट करना चाहिए और इसमें क्या होता है कि आपका वह भी जाता है और वह भी जाता है। इसी तरह से आपने पहले भी निर्णय लिया है। आप चले जाएंगे, आप बह जाएंगे, मैं इसलिए आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि आप जरा सोचिए। आप इधर-उधर की मत सोचिए, थोड़ा अपने भविष्य के बारे में सोचिए और अगर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर कानून आपको लाना ही है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं तो आप पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? दो साल, चार साल की बात क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा करिए कि जब तक ये गवर्नमेंट है, तब तक यह कानून चलेगा और उसके बाद जब आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी लोग निर्णय ले लेगें। इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह जा सकता है। आपको अगर हिम्मत है होम मिनिस्टर साहब तो आप यह कहें कि जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं और नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री हैं, तब तक यह कानून रहेगा और उसके बाद आने वाली जनता, आने वाली सरकार इसका फैसला करेगी। आप यह कर सकते हैं क्योंकि आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी चाहे जिसके भी नेतृत्व में हो, कोई न कोई काला कानून, कोई न कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट लाती ही रही है। इसके अलावा आपने कभी हुकुमत नहीं चलाई है। हमने 77 में मीसा खत्म किया था, 80 में आप नासा ले आए। इसी तरह से पी० डी० ऐक्ट था, डी० आई० आर० ऐक्ट था और आज जब टाडा जा रहा है मैडम्, मैं थोड़ा ईमोशनल हो गया हूं इसलिए कि टाडा जा रहा है, तो आप सब के सब कानून को बना रहे जा रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट के और किसी दूसरे सेक्शन की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ टाडा नाम से नई बोतल में जो आप डाल रहे हैं, इसी से आप सब काम तमाम कर देंगे क्योंकि पुलिस और पुलिस अफसर और ऐडमिनिस्ट्रेशन हमेशा यह चाहता है कि कितनी कम मेहनत से वह कितनी ज्यादा कड़ाई से पेश आ सकते हैं जहां पर तमाम प्रोविजन्स को वे इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टर ऑप्शस को बोलते हैं जज लेकिन वे करते हैं सब से स्ट्रिंजेस्ट जो प्रोविजन्स रहते हैं जिसमें उनको मेहनत कम करनी पड़े, प्रमाण कम देना पड़े, ऐक्सटॉर्शन ज्यादा हो, ऐसे कानून का वे इस्तेमाल करते हैं। आप भी उसके हाथ में दे रहे हैं। फिर आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसा मत कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, रबीन्द्र नाथ टैगोर की एक कोटेशन है "आमी जेने शुने बीष कोरे छी पान"—"(मैंने जान बूझकर जहर पिया है)।" तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो लेकिन मेरा तो एक काम है, इस सदन के सदस्य की हैसियत से कि आपको यह कहना कि सामने काफी बड़ा गड्ढा हैं, छलांग लगाने से पहले आप जरा देख लीजिए, इतने नशे में गुम मत रहिए। धन्यवाद।

†[شری محمد سلیم (پشچمی بنگال): میڈم کل سے اس ودھے یک کے اوپر چرچا چل رہی ہے۔ ہمارے تمام ودوان ساتھی اسکے الگ الگ پہلوؤں کے بارے میں چرچا کر چکے ہیں اور اب یہ چرچا کا آخری دور ہے۔ اس بل سے سمبندھت جتنی بھی آوشیک باتیں ہیں۔ وہ کسی نہ کسی سدسیہ دوارا آپکے اور سدن کے سامنے رکھی گئی ہیں۔

(اپ سبھا پتی پیٹھ آسین ہوئی)

میڈم آج ۲۳ مئی ۱۹۹۵ کو یہ جو "ٹاڈا" قانون ہے۔ بدنام زمانہ یہ قانون ختم ہونے والا ہے۔ میڈم۔ ہم نے یہ قانون بنایا تھا ٹیررورزم کو روکنے کیلئے لیکن یہ قانون پورے ملک کو ٹیررائز کر رہا ہے اور جو سامانیہ ودھی ہے جو کرمنل لا ہے۔ اسمیں "ٹاڈا" اوورلیپ کر رہا ہے۔ یہ قانون خود جسطرح سے بدنام ہوا ہے۔ جسکی چرچا صرف دو دن سے نہیں بلکہ ہم کئی ورشوں سے یہاں کر رہے ہیں ہوم منسٹر صاحب نے خود انکی زبانی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ یہ قانون مس یوز ہوا ہے۔ مکھیہ منتریوں نے کہا ہے اور سبھی پکشوں کے لوگوں نے بار بار "ٹاڈا" کے خلاف کہا ہے لیکن آج نام بدل کر چھوڑ بلا کر۔ دوسرے لوگ بستے کے ذریعے ہمارے جو سامانیہ ودھی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ۔ اسمیں اسے لایا جا رہا ہے اسلئے میں اس ودھے یک کا ورودھ کرتا ہوں

میڈم۔ یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ ہماری یہ سرکار کسطرح سے سوچنے میں دیر لگاتی ہے سے پر نرنئے نہیں لے پاتی ہے اور اگر لیتی بھی ہے تو انکی اتنی کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ وہ کسطرح کا قدم اٹھائینگے۔ یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ملک میں جو سمسیا درپیش ہے حکومت کے سامنے یہ اداہرن ہے کہ ہمارے پردھان منتری ہوں۔ یا گرہ منتری ہوں۔ وہ فیصلہ لینے میں ہچکچاتے ہیں۔ کر رہے ہیں اور انکے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ میڈم۔ انھوں نے کہا تھا۔ کہ "ٹاڈا" کو ہم ریپیل کر دینگے۔ پھر "ٹاڈا" کو ہم ریلیپس کرینگے "ٹاڈا" کے اندر جو ایسے کچھ ودھان ہیں۔ جسکے مس یوز ہوتا ہے۔ اسے روکنے کیلئے ہم اسے سنشودھت کرینگے۔ ویسے کرمنل لا میں کئی بار سنشودھن ہوئے ہیں۔ لیکن آج یہ جو سنشودھن ہے۔ ایک نیا قانون اسٹیچوٹری بک میں ڈالا جا رہا ہے یہ کیونکہ آپ ایک سیکشن

†[] Transliteration in Arabic script.

دو [illegible] ادھر ادھر سے اگر آ سکتے ہیں
میں شفٹ ہو [illegible] ہیں اگر ہم ہیں بلکہ ہمارے
جو سامانیہ قانون ہیں ان سے آپ ایک کالا
پیسہ دے رہے ہیں - ایک نہایت کرپٹ
ہیں - بلیک پیسہ لگا رہے ہیں - جو ہمارے
ملک کی ایک سامانیہ [illegible] میں بج
[illegible] ایگزیمنٹ - انکا ترک
یہ ہوتا ہے کہ ٹیررزم کو روکنے کیلئے ہمارے
ملک کے قانون نہیں - ان سفیشینٹ
نہیں ہیں - آرڈنری جو لا ہیں - وہ ان سفیشینٹ
ہو رہے ہیں - اور اسلئے ہمیں سپیشل کرمنل
کا قانون چاہئے - ایمرجنسی کے وقت جن بھی
ہو رہے تھے - ایسے آپ ہمیں "ٹاڈا"
تک لے آئے ہیں "ٹاڈا" کے دس سال استعمال
کے بعد ہم کہاں پہنچے ہیں - میڈم - آج ہوم منسٹر
صاحب "ٹاڈا" [illegible] ہیں - سپریم کورٹ کے
جو فیصلہ آیا ہے اس میں [illegible] بھی
کہا گیا ہے کہ لگاتار [illegible] اس کا غلط فائدہ
لیا ہے - آپ نے دس سال پہلے "ٹاڈا" لگایا
اور آپ خود کہتے ہیں کہ ٹیررزم بڑھ
رہا ہے - پہلے دو سال کیلئے آپنے لگایا تھا
اس میں آپنے [illegible] کہا تھا کہ آپکا
ٹارگیٹ دو سال [illegible] ٹیررزم کو
روکنے کا ہے - اب 1985 سے آج تک دس
سال ہو گئے ہیں - آج آپ کہتے ہیں کہ

یہ صرف دو سال والا قانون نہیں ہے - پرمانینٹ
اسپیشل [illegible] ایکٹ میں [illegible] ڈالا جائیگا اور کسی
ڈسٹرب ایریا یا ڈسٹرب ایریا کے
لئے نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کیلئے اسے
لاگو کرنا پڑیگا - آپ بتائیں "ٹاڈا" کے ذریعے قانون
سے فائدہ ملا یا نقصان ہوا - آپنے "ٹاڈا"
کا استعمال کیسے کیا [illegible] میں کیا -
میڈم - ایمرجنسی [illegible] ہم کہہ رہے تھے -
دوسرے [illegible] اور [illegible]
[illegible] کی گئی اسلئے
سے ٹیررزم بڑھتا کیوں ہے - اگر یہ نہیں سمجھیں گے
تو آپکے ذریعے لوگ [illegible] کے چپیٹ میں
[illegible] صرف [illegible] تو
[illegible] کیسے ہم [illegible] - ہم نے
دیکھا - [illegible] ہمارے ملک
میں ہوئے - ہم نے 1985 میں جب "ٹاڈا"
بنایا تھا - ہم نے دیکھا پنجاب کے ٹیررسٹ
پنجاب اسٹیٹ سے باہر نکل کر آگے اور
[illegible] دلی میں - راجستھان میں
یو پی - میں - بہار میں دیکھنے کو ملتے
کو ملے اور سب جگہ ڈی - ٹی - سی
کی بسوں میں دوسری جگہوں پر لگا گیا
کہ کسی [illegible] سامان کو کوئی ہاتھ
نہ لگائے - [illegible]
ایک [illegible]

†[ ] Transliteration in Arabic script.

۱۹۸۵ میں ایک خاص وقت میں یہ ٹاڈا بنایا تھا اور اس وقت بھی ہماری پارٹی نے اور یہ کہا گیا تھا کہ اسمیں ایسے پراودھان ہیں۔ جسکے کارن مس یوز ہو سکتا ہے۔ اور ہوا۔ آپ آج اسکا پورے ملک میں وستار کرنا چاہ رہے ہیں۔

میڈم۔ جو سینسیلیس وائلینس ہے اسے آپ اگر روکنا چاہتے ہیں تو اسکے لیے آپکے پاس کڑے قانون ہوں۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپکا دماغ کتنا صاف ہے۔ آپکی پالیٹیکل ول کتنی پاک ہے اور آپ کس طرح سے نرنیے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کہ آپ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں چیلینج کے سامنے یا آپکے گھٹنے کانپ جاتے ہیں یا سرمیٹ لے کر گھٹنے میں پلاسٹر لگا کر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں

... "وقت کی گھنٹی" ...

میڈم دو چار منٹ کا سمے آپ سے مانگونگا۔ کئی دنوں سے ہم لوگ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آج تو یہ قانون بھی لے آئے ہیں اور اسکے بعد جبر چاہیں کرنی پڑیگی کیونکہ دو چار سال تو آپ پارلیمنٹ بھی نہیں آئینگے۔ پرمانینٹ اسکا قانون بنا دے رہے ہیں۔

میڈم۔ کیا انکی پالیٹیکل ول ٹھیک ہے۔ ٹیرورزم کو ہٹانا چاہتے ہیں جو ٹیرورسٹ ہیں انکو سزا دینا چاہتے ہیں۔ میں بتانا چاہونگا آپکو حیرت ہوگی۔ اسی مانیئے سدن میں ہماری ایک مانیئے سدسیہ ہیں اسی سدن کی انکے ہسبینڈ کا قتل کیا گیا تھا۔ ٹیررسٹوں نے مارا تھا۔ وہ ودھوا اس سدن میں موجود ہیں۔ آسام کے ٹیرورسٹ نے مارا تھا۔ آپنے ودھوا کو ٹکٹ دے کر یہاں ایم۔ پی۔ بنا دیا۔ لیکن جو ٹیرورسٹ پکڑے گئے ٹاڈا کے اندر پکڑے گئے اور ایک سال کے اندر آپنے اسے چھوڑ دیا۔ کیس وِدڈرا کر لیا آپ ٹیرورسٹ کو پکڑنا چاہتے ہیں جو انوسینٹ لوگ ہیں انکو آپ برسوں جیل کے اندر سڑا رہے ہیں اور پھر آپ یہاں آکر کہتے ہیں کہ ہمیں قانون چاہیئے۔ سختی سے پیش آنا پڑیگا۔ آپ جو ٹیرورسٹ ہیں انکو نہیں پکڑنا چاہتے۔ آج جو صحیح معنوں میں غلطی کر رہا ہے۔ اسکو سزا نہیں دینا چاہتے۔ اپکی سرکار ہو۔ بیوروکریسی ہو۔ پولیس ہو۔ جو انوسینٹ لوگ ہیں۔ انکو وہ ڈرانا چاہتے ہیں۔ خوف میں لانا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جسمیں زیادہ سے زیادہ ڈریکونیل لاز بنیں اور لوگوں میں خوف پیدا ہو۔ اس خوف میں ٹیرورزم پلتا ہو۔ بڑھتا

†[ ] Transliteration in Arabic script.

ہو۔ چاہے ٹیررسٹ ہوں۔ چاہے آپ
ہوں۔ آپ ایک خوف کا ماحول بنا رہے
ہیں اس قانون کے ذریعے آپ اسے ختم
نہیں کر پائینگے۔ میں اس بات میں نہیں
جاؤنگا۔ کل کہا گیا کہ کسطرح سے ٹیررزم
ہوتے ہیں۔ وہ قانون کو نکار دیتے ہیں۔
جب وہ ٹیررسٹ بنتے ہیں اور انکو
آپ قانون بنا کر روکنا چاہتے ہیں۔ آپ
قانون بنا کر کیا کر رہے ہیں تو جو لا اباینڈنگ
سٹیزن ہیں انکو ڈرا رہے ہیں۔ جو قانون
سے ڈرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے
اور اسکو آپ اور ڈرا رہے ہیں۔ میڈم
ہمارے لیگل سسٹم میں جو ڈیموکریٹک
ایلیمنٹ ہے۔ آج کے بعد اگر یہ قانون
پاس ہوگا تو وہ ڈیموکریٹک ایلیمنٹس
ختم ہو جائیگا۔ لیگل سسٹم میں فیتھ نہیں
رہیگا نوجوانوں کو۔ جو ڈسکانٹینٹ انکے
اندر ہے۔ اس راستے پر دھکیل رہے ہیں
انکو لیگل سسٹم کے بارے میں انکے من
میں اگر تھوڑی سی بہت بھی کچھ آستھا ہوگی
وہ بھی ختم ہو جائیگی۔ آپ اس آستھا
کو ختم مت کیجئے۔ آپ انھیں ٹیررزم
کے راستے پر مت دھکیلئے۔ آپکو پالیٹیکل
ول دکھانا پڑیگا۔ سوشل پالیٹیکل اکنامک
سچویشن میں ایسی حالت پیدا ہوتی

ہے جو باہر سے مدد لیکر کے وائیلینس کر رہے
ہیں۔ میں انکی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان
سے آپ کتنی سختی سے پیش آئیے۔ وہ ان
تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن جو ڈسکانٹینٹ
پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو ایکسٹریمزم
پیدا ہوتا ہے۔ اسکا اگر آپکو مقابلہ کرنا
ہے تو آپکو پالیٹیکل ول چاہیے۔ آسام، کشمیر
میں کیا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بارے میں
سوچ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر پہلے ڈکلئیر کرتے
ہیں۔ چناؤ کے بعد بھول جاتے ہیں۔ آج بھی
اگر پولیس یا ایڈمنسٹریشن کے ذریعے
آپ پنجاب شانتی لے آئے ہیں۔ تو آپ
اس بھرم میں مت بیٹھے رہیئے کہ پنجاب
کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جو روٹ کاز ہے۔
جو سوشل۔ پالیٹیکل۔ اکنامیکل جو
روٹس ہیں۔ وہ آج بھی موجود ہیں اور
آج کوئی نوجوان غلط جگہ پر بھٹکنے کیلئے
استعمال کر سکتا ہے۔ کشمیر کے بارے میں بھی
وہی بات ہے۔ آپ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا
رہے ہیں جس سے آپکی پالیٹیکل ول یا
انٹریسٹ کا مظاہرہ ہو۔ آپ کسطرح
سے ہم اور ان لے آئینگے۔ کتنے ٹاڈا قانون
کتنے میٹرس کی میعاد کی جائیگی۔ کتنے تک
انکو بند رکھا جائیگا۔ پولیس کے ہاتھ
میں کتنا اختیار ہوگا یہ دکھا کر کیا آپ

†[ ] Transliteration in Arabic script.

†[] ٹیررزم کو روک پائینگے۔ ٹیررسٹ
ایکٹی ویٹیز کو روک پائینگے۔ بنگال میں
ہمارا ادھارن ہے میں بار بار یہ کہتا
ہوں کہ وہاں نیکسلائٹس تھے۔
ایکسٹریمسٹ کے راستے پر گئے تھے۔ اور
اسکے بعد بنگال میں جب ہماری گورنمنٹ
آئی ۱۹۷۷ میں تو ہم نے پہلا فیصلہ یہ لیا
اسے اس سمے "میسا" تھا۔ بعد میں آپ
این۔ ایس۔ اے۔ بنائے کہ ہم یہ کالا
قانون استعمال نہیں کرینگے۔ اور ہم نے
نہیں کیا۔ آپکی سرکار نے مدھیہ پردیش
میں کیا۔ آندھرا پردیش میں کیا۔ مہاراشٹر
میں کیا۔ کرتے آئے اور آج ان سب جگہ
پر ایکسٹریمسٹ بڑھا ہے۔ اور بنگال
میں یہ گھٹا ہے۔ کیونکہ ہم نے پالیٹیکل جو
روٹ کاز ہے۔ ان سے ہم نے ایڈجسٹ
کرنے کی کوشش کی ہے جو بہکے ہوئے
نوجوان ہیں۔ انھیں واپس لانے کی کوشش
کی ہے۔ آپ کشمیر میں دیکھتے ہیں۔ نارتھ
ایسٹ میں آپ ملٹری بھیج رہے ہیں۔
جگموہن جی کے مشورہ میں۔ جیسے کشمیر
پر وہ خار مولا دیتے ہیں۔ ویسے نارتھ
ایسٹ میں روزانہ ناگالینڈ۔ مزورم۔
منی پور۔ ہر ایک اسٹیٹ میں آپ فورس
بھیج رہے ہیں اور ادار بھیج رہے ہیں۔ کالا
قانون بھیج رہے ہیں لیکن آپ آزادی کے
۴۷ سال بعد بھی نہ تو وہاں کے نوجوانوں کو
ہمارے ساتھ جوڑ پائے ہیں۔ اور نہ وہاں
سے ٹیررزم کو ختم کر پائے ہیں۔ دارجلنگ
میں۔ ودیش سے مدد لیکر اینگر ۔ ۔ تی میں
بیٹھی ہوئی سرکار سے مدد لیکر دارجلنگ
میں ایکسٹریمسٹ کے راستے پر وہاں کے
کچھ نوجوان وہاں گئے تھے اور ہم نے وہاں
پر پالیٹیکل سیٹل کرا۔ آج دارجلنگ میں
پیس تو ہے۔ شانتی تو ہے۔ جو ملک
کو توڑنے والی طاقتیں تھیں انکو ہم نے
ختم کیا۔ دارجلنگ اور کشمیر کا معاملہ ایک
جیسا نہیں تھا۔ ۔ ۔ ۔ "وقت کی گھنٹی"
ایک جیسا نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی وقت
میں شروع ہوا تھا۔ لیکن آج کشمیر کا معاملہ
کہاں سے کہاں پہونچا ہوا ہے۔ آپ صرف
لاٹھی۔ ڈنڈا اور قانون کے ذریعے اگر
حکومت چلانے کی کوشش کرینگے تو
خطرناک جگہ پر آج آپ جا رہے ہیں۔
میڈم۔ ریزیو ۔ ۔ ۔ ہیں
ہم لوگوں نے کہا تھا۔ آج قانون ختم ہو
جائیگا۔ ہماری آپتی ہے۔ منتری جی نے
کل کہا انٹروڈکشن کے ٹائم پر کہ جو لوگ ٹاڈا
کے اندر پکڑے گئے ہیں۔ اگر مقدمہ ٹک پر وہ ٹر
ٹاڈا کے اندر مقدمہ چل رہا ہے۔ وہ چلتا رہیگا

†[] Transliteration in Arabic script.

آپ کہتے ہیں کہ سیکشن ۵ - جو پروزیشن
آف آرمس ہے - ٹھیک نہیں ہے - آپ
کہتے ہیں کہ سیکشن ۱۵ آف ٹاڈا ایکٹ
کے سامنے جو ایویڈنس کریں گے وہ ٹھیک
نہیں ہے - اور جب ٹھیک نہیں ہے تو اس
سیکشن کے مطابق سزا کیوں ملنی چاہیے
جب ٹھیک نہیں ہے تو اس سیکشن کے
مطابق سزا کیوں ملنی چاہیے - کیوں چلے گا
میڈم - صرف یہ کنفیوژن کا معاملہ نہیں
ہے اپنے اندر میں - اسکی کچھ ایگزیمپل ایسی
ہیں کہ ٹاڈا کو لیکر کے کس طرح سے
گمراہ کیا گیا - ابھی ویلپ داس لیتا جی
بول رہے تھے مس لیڈنگ انفارمیشن
دیتے ہیں - جب بھی اہم سوال پوچھتے
ہیں کہ ٹاڈا میں کتنے لوگ گرفتار ہیں
وہ کہتے ہیں کہ سن ۱۹۸۵ اپ ٹو ڈیٹ -
دسمبر ۱۹۸۵ تک ۶۷ ہزار لوگ ہیں۔
اسکا مطلب کیا ہے - کیو مولیٹو ہے - ہم نے
گورکھا لینڈ کے زمانے میں دارجلنگ میں
ٹاڈا کا استعمال کیا تھا اور جب پالیٹیکل
سیٹلمنٹ ہوا - ان سیکورٹیز کر دیا -
کیسیز واپس ہوگئے - لیکن آپکے فیگرس میں
وہ ابھی بھی موجود ہیں - میڈم - وہ پرسنٹیج
کس طریقے سے مس لیڈنگ ہوتا ہے -
ہوم منسٹر صاحب سمجھیں گے - جس طرح سے

چھوٹی موٹی چوری سائیکل وغیرہ کی ہوتی
ہے - تو پولیس کیا کرتی ہے - جب پچھلی بار
۱۰ ہوئی تھی تو انہیں سو دو سو ٹھیک کر مل
گئی تھیں - اس بار کیا کرتے ہیں - دس چوری
ہونے کے بعد اور بھی دو چار چوروں کو
بلا کر بولتے ہیں کہ اور بھی دس چوری
کر لو دس چوری کرکے تیس واپس کر
لیتے ہیں - اور سرکار چلا جاتا ہے -
لیکن پرسنٹیج میں وہ بڑھ جاتا ہے - وہ
کہتے ہیں کہ پچھلے سال سے قانون کی ویوستھا
اچھی ہوئی ہے - ابھی غلام نبی آزاد جی
بھاشن دے کر کے بول رہے تھے کہ میں
نے ورکنگ کمیٹی کو بنایا یہ نہیں بتایا
کہ کس ورکنگ کمیٹی کو بتایا تھا - لیکن
ورکنگ کمیٹی نے بتایا تھا کہ ٹاڈا بہت اچھا
ہے - ورا من کا مس یوز ہوتا ہے اور
اسلئے ۶۷ ہزار سے گھٹ کر ۲ ہزار ہو گیا۔
ٹاڈا کے اندر کبھی اتنے بک نہیں ہوئے تھے۔
وہ کیومولیٹیو افیکٹ ہے - ہر سال کچھ
کرکے بڑھتا رہتا ہے - ہوم منسٹر کو جتنی
بار بھی ہم لوگوں نے پوچھا ہمارے پاس
اس کا جواب موجود ہے - انفورمیشن اسٹیٹ
وائز ایئر وائز بریک اپ دیا ہے - منسٹری
میں ہے - اگر اسکو تھوڑا بہت پڑھ
لیتے ہیں تو یہ معلوم ہو جائیگا کہ کتنا تھا -

†[ ] Transliteration in Arabic script.

وہ جب بھی ریلیز کی بات کرتے ہیں۔
جیل کے اندر جو لوگ ہیں انکی سنکھیا
بولتے ہیں۔ جو ان بیلٹ ہیں۔ کیس
تو چل رہے ہیں۔ جو وہ ایسے نہیں ہوئے
ہیں جنکو کورٹ سے بیل نہیں ہوا ہے
اسکے بارے میں کیا ہوگا۔ وہ نمبر آپ کیوں
نہیں بولتے ہو۔ وہ بھی تو اسکے اندر پڑیگا[]

THE DEPUTY CHAIRMAN 'Mr. Salim will you Please wind up?

†[شری محمد سلیم: داستان لمبا تھا۔
میں شہادت کر رہا ہوں۔

اپ سبھا پتی: وہ کیومولیٹو افیکٹ
نہیں ہو جائے۔

شری محمد سلیم: کیومولیٹو افیکٹ
نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کل ہمیں یاد آ گیا۔
میڈم۔ کل آپ تھی نہیں اور اتفاق سے
میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تمام
منتری یہاں حاضر تھے۔ جنہوں نے کوئی نہ
کوئی ٹاڈا کو پائلٹ کیا تھا ہاؤس میں۔
چندمبرم جی بھی تھے انھوں نے ہمارے ہاؤس
میں ۱۹۸۹ میں پائلٹ کیا تھا۔ کل بوٹا سنگھ
جی بھی آ گئے تھے اتفاق سے۔ یہ ۱۹۸۷ میں
ٹاڈا کے پتا بنے تھے انھوں کے سین جی بھی
۱۹۸۵ میں اسکے پتا بنے تھے اور ابھی آپ
پرمانینٹ پتا بننے جا رہے ہیں اس قانون
کے۔ تو آپ دیکھ لیجئے۔ بوٹا سنگھ جی
۱۹۸۷ میں ٹاڈا کے پتا بنے تھے اور ۱۹۸۹
میں انکی حالت کیا ہوئی تھی۔ لوگ بھول
گئے تھے اور آپکو بھی بھولتے چلیں گے۔ آپکی
حکومت کو اور آپکی پارٹی کو بھی۔ میڈم۔
ابھی میں یہ کہہ رہا تھا۔ لاسٹ پوائنٹ
ہے۔ جو خطرناک ہے۔ ہم اسے حقیقوں رائٹ
کے اینگل میں سے ڈیموکریسی کے اینگل
نہیں دیکھ سکتے۔ کانگریس پارٹی اور باقی
دوسرے لوگ سب اسکو کمیونل اینگل
میں دیکھتے رہتے ہیں اور ایسا آج بھی
کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نرنے جسکی
ڈیموکریسی کو ضرورت ہے۔ آپکو نرنے
لینا پڑتا ہے۔ آپ جب اردو کانفرنس
میں جاتے ہیں۔ تو بھاشن دیدیا کہ ٹاڈا
خراب ہے۔ جب آپ اماموں کی میٹنگ
میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹاڈا خراب
ہے ابھی تین روز پہلے جبکہ لوک ہاؤس
میں یہ بل انٹروڈیوس ہوا تھا ٹیلی ویژن
پر دکھلاتے ہیں کہ کچھ مسلم لوگوں کی پردھان
منتری کے گھر میں میٹنگ تھی اور ان وہاں
بھاشن دے رہے تھے کہ ہمیں پکا یقین ہے
کہ آج ایک بل آئیگا اور ٹاڈا ختم ہو جائیگا۔
کس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ قانون

†[] Transliteration in Arabic script.

بنا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں۔ لیکن آپ کمیونل اینگل دکھلاتے ہیں۔ لیکن ٹاڈا کا معاملہ نہ تو مسلم کا تھا۔ نہ ہندو کا تھا وہ ایک لیگل سسٹم کا معاملہ ہے۔ آپ اگر بولینگے کہ ڈیموکریسی سسٹم ٹھیک نہیں چلتا۔ اتنا پرابلم، اتنا گھوٹالہ ہوتا ہے۔ تو چلو اسکو ڈکٹوریل کر دیتے ہیں۔ جگموہن جی کا ایسا آرگیومنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اسکو کمیونالائز کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہاں سے آپکو سمرتھن ملتا ہے ٹاڈا کے بارے میں تو گجرات الیکشن کے پہلے ٹاڈا کے اسپیشل کورٹ کے جج کے تبادلے کیلئے بھارتیہ جنتا پارٹی بند بلاتی ہے۔ گجرات میں۔ کمیونالائز کرنے کیلئے اور ہندو اور مسلمان کے نام پر لوگوں کو بانٹ رہے ہیں قانون کے لئے۔ گجرات میں رزلٹ کیا ہوا۔ آپکو معلوم ہے۔ وہ پالیٹیکل گین کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس گڈھے میں پڑتے ہیں ۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

گجرات اسپیشل کورٹ ٹاڈا قانون کے تحت بنا تھا اور اسی ملک میں کوئی جج کے تبادلے کے بارے میں کوئی پالیٹیکل نیتا کبھی کوئی بند نہیں بلاتا تھا۔ لیکن بلایا گیا اس ملک میں جج کے تبادلے کے سوال پر۔ کیوں۔ کمیونل ایپلیکیشن ہو رہا تھا۔ جب غلام نبی آزاد جی کہتے ہیں۔ ۹۳ کی ورکنگ کمیٹی میں انہوں نے کہا تھا کہ مس یوز ہو رہا ہے۔ ۱۹۹۰ کے مارچ مہینے میں۔ اس سدن میں ہوم منسٹر نے کہا کہ مس یوز ہو رہا ہے۔ ۹۲ سے آج تک اسکا ایک کیومولیٹو افیکٹ ہوا ہے۔ سنکھیا اسکی کم ہوئی ہے۔ لیکن کیومولیٹو افیکٹ ہوا ہے۔ پالیٹیکل اور وہ ایکیومولیٹ ہوا ہے۔

میڈم۔ مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ اسکے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح سے ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس سیکشن کا ووٹ لینا ہے۔ اس سیکشن کا ووٹ لینا ہے۔ تو چلو بھیا۔ اسکو کمیونل کرکے ایسا کرنا ہے۔ جو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپیزمنٹ آف مائناریٹی ہو رہا ہے۔ پھر اپیزمنٹ آف بی جے پی ہونا چاہیئے کہ چلو بھئی ایک جنرل قانون لانا چاہیئے۔ ٹاڈا کو بھی انسٹی گیٹ کرنا چاہیئے اور اسمیں کیا ہوتا ہے کہ آپکا یہ بھی جاتا ہے اور وہ بھی جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپنے پہلے بھی ٹریٹ لیا ہے۔ آپ چلے جائیں گے۔ آپ بہہ جائیں گے۔ میں اسلئے آپ سے یہ نویدن کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیئے۔ آپ ادھر ادھر کی مت سوچیئے۔

†[ ] Transliteration in Arabic script.

تھوڑا اپنے بھوشیہ کے بارے میں سوچئے
اور اگر اپنے بھوشیہ کے بارے میں سوچتے
ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اگر قانون
آپکو لانا ہی ہے جس میں اسکا سمرتھن نہیں
کرتا ہوں۔ تو آپ پابندی کیوں لگا رہے
ہیں۔ دو سال چار سال کی بات کیوں کر رہے
ہیں۔ آپ ایسا کریئے کہ جب تک یہ
گورنمنٹ ہے۔ تب تک یہ قانون چلےگا۔
اور اسکے بعد جب آپکی گورنمنٹ چلی جائیگی
لوگ نرنیہ لے لینگے۔ الیکشن میں فیصلہ ہو
میں جا سکتا ہے۔ آپکو اگر بہت سے ہوم
منسٹر صاحب تو آپ یہ کہیں کہ جب
تک میں ہوم منسٹر ہوں اور نرسمہا راؤ
پردھان منتری ہیں۔ تب تک یہ قانون
رہیگا۔ اور اسکے بعد آنے والی جنتا
آنے والی سرکار اسکا فیصلہ کریگی۔ آپ یہ
کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپکی سرکار۔ کانگریس
پارٹی چاہے جیسے بھی نہتر تو میں ہو۔ کوئی
نہ کوئی کالا قانون۔ کوئی نہ کوئی پری وینٹیو
ڈیٹینشن ایکٹ آپنے کبھی حکومت نہیں
چلائی ہے۔ ہم نے ۷۷ میں میسا ختم کیا تھا
۸۰ میں آپ نا سا لے آئے۔ اسی طرح سے
پی۔ ڈی۔ ایکٹ تھا۔ ڈی۔ آئی۔ آر۔ ایکٹ
تھا۔ اور آج جب ٹاڈا جا رہا ہے۔ میڈم۔
میں تھوڑا اموشنل ہو گیا ہوں۔ اسلئے

کہ ٹاڈا جا رہا ہے۔ تو آپ سب کے سب
قانون بنا کر جا رہے ہیں۔ کرمنل پروسیجر ایکٹ
کے اور کسی دوسرے سیکشن کی ضرورت نہیں
ہوگی۔ صرف ٹاڈا نام نئی بوتل میں جو آپ
ڈال رہے ہیں۔ اسی سے آپ سب کام تمام
کر دینگے۔ کیونکہ پولیس اور پولیس افسر
اور ایڈمنسٹریشن ہمیشہ یہ چاہتا ہے
کہ کتنی کم محنت سے وہ کتنی زیادہ کروائی
سے پیش آ سکتے ہیں۔ جہاں پر تمام
پروویژنس کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ سافٹو
آبجکشنس کو بولتے ہیں جج لیکن وہ کونسے ہیں۔
سب سے اسٹرنگیسٹ جو پروویژنس ہیں
ہیں۔ جسمیں انکو محنت کم کرنی پڑے۔ پرمان
کم کر دینا پڑے۔ ایکسٹارشن زیادہ ہو
ایسے قانون کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ
بھی اسکے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ پھر آپ
سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا مت
کیجئے۔ اسکے باوجود بھی اگر آپ ایسا
کرنا چاہتے ہیں۔ روہندر ناتھ ٹیگور کی
ایک کوٹیشن ہے۔ جان بوجھ کر ہی ہم لوگ
پینا چاہتے ہیں۔ تو ایسا اگر آپ کرنا چاہتے
ہیں تو آپکو مبارک ہو۔ لیکن میرا تو ایک کام ہے اس
صدن کے سدسیہ کی حیثیت سے کہ آپکو یہ کہنا کہ سامنے
کافی بڑا گڈھا ہے چھلانگ لگانے سے پہلے آپ ذرا
دیکھ لیجئے۔ اتنا نشے میں کم مت رہیئے دھنیواد۔

†[] Transliteration in Arabic script.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairperson, today we are discussing the Criminal Law Amendment Bill which has been introduced to replace TADA which had become very controversial only in the last few years. Hon. Members of the House on both the sides are aware that TADA has been in operation since 1985. TADA has been renewed every two years. It is renewed by Parliament every two years. Let me remined the House that between 1989 and 1991, TADA continued to operate. My friend sitting on the opposite side did not initiate any move to repeal TADA beween 1989 and 1991. A law which was considered necessary at one time is being termed now as a black law. In what circumstances and situations it has become a black law which led to this controversy wherein the Government itself has decided to repeal it with another law is a matter which will be decided by the people of this country.

Madam; my friend became very emotional. It is not a question of committing suicide or keeping this law as long as this Home Minister or this Prime Minister is there. We have introduced a Bill which is good for the country. It may not be necessarily good for you politically. There has been a spate in all kind of terrorist activities; insurgent activities in different parts of the country with different kinds of serious situations; sometimes threatening even the sovereignty and integrity of the country. In such an extraordinary situation; we all know that normal laws do exist.. The Criminal Procedure Code is already there. But under certain extraordinary situations and circumstances; these laws have to be introduced. Therefore; Madam Chairperson; this law was introduned and it continued to operate for ten long years. Well; allegedly; there has been a lot of misuse during the last two or three years and; I think; there has been a lot of reports in the newspapers and not only the colleagues from the other side of the House; but also many colleagues from this side feel that the time has now come when probably some remedial measures have to be taken to see to it that this kind of a misuse doesn't take place.

Now, today, we have introduced a Bill which is going to become a part of the Statute Book. As I had already mentioned; we already have laws like the Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code and many other laws to deal with these situations. But; yes; in extraordinary situations; when things go out of hand; certain laws are and would be necessary for any Government that is in power. But; whether it is a wise decision to actually incorporate this kind of a Bill as a permanent part of the Statute Book is a question about which I am not convinced. I personally wish that there should have been a timeframe even for this Bill which we are discussing today.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Do you want it for a limited period?

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: That is right. I would also request the hon. Minister of Home Affairs to limit the provisions of this Bill to a period of; say; three years or five years or whatever the Government thinks is appropriate. He can again come before the Parliament, seek its permission; if the situations then warrant this kind of measures or if the Government feels that it should arm itself with some extra powers than what it has under the normal laws. So, I would make an earnest appeal to the hon. Home Minister to consider this and, if possible; make a provision so that this Bill can be limited to a specific period subject to; of course; further renewals.

[Shri V. Kishore Chandra S. Deo]

Now, we have introduced this Bill and we have done away with the TADA because we are also agreed upon the fact that certain misuse had taken place. I would like to appeal to the hon. Home Minister not to reopen and review all the cases, but to appoint a high-powered committee or a committee of experts, at least in those cases where there has been a blatant misuse and political victimisation of some detenus. They should get some kind of a relief within a time-frame. It is also very very necessary that those who are responsible for this misuse should be brought to book. I wish that there should be some provisions made for the accountability of those bureaucrats or Policemen or politicians, whoever they may be. Of course, our hon. colleague; Shri Raaj Babbar was asking whether the country is going to be ruled by the police or the bureaucrats. Madam, you know that the country cannot be ruled only by politicians, only by the bureaucrats or only by the police. You need all the three of them. And, when certain provisions are implemented or when they are misused, all of them share equal responsibility. I am not one of those who would like to condemn the entire police force or the entire bureaucracy. There are good police officers and good bureaucrats also. But, with regard to those who have been responsible for these things. I am sure that the hon. Home Minister can pick out those cases, review them and see to it that relief is given to them and also see to it that some kind of accountability to the Home Ministry or to Parliament is there in such cases.

There are one or two other things. Madam, there is a presumption clause in this Bill which actually puts the onus of proof on the accused. I think this is a risky and a dangerous clause, which can actually result in the misuse of these provisions. I think, that is exactly what has happened in the case of TADA. Well, those sections 5 and 22, are not there. But I think this presumption clause can cause a lot of harm and, therefore, I think that this provision, where the onus of proof is on the accused, could also be changed to see to it that those prosecuting authorities will have to sufficiently prove before they prosecute a certain person under this particular Act which we are going to pass.

Madam, I think the definition is also very very large and all pervasive. There should be a simpler definition as far as clause 3 is concerned. Then, clause 4 says, "Whosoever harbours or conceals, or attempts to harbour or conceal, any terrorist shall be punishable with imprisonment...." Madam, in Andhra we have extremist activities. Sometimes the village people become the victims of two sides the police on one side and the extremists and terrorists on the other. The police are not there all the time when these extremists and terrorists go and threaten the people at the point of gun and ask them to serve food or they take shelter in that village for some time. In those circumstances the village people are helpless. When the police come it says that they have let those people come and provided them food or shelter. So, unless we are able to provide full protection to such people who are threatened at the point of gun, they cannot also be treated on par with the terrorists or extremists who are actually active. I have seen, in many cases, that people who are not extramists have been pushed into the extramists camps. So, while dealing with such cases we should take abundant precaution and care to see that the people who are innocent or who don't have that bent of mind or that kind of orientation, don't become

(SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO)

victims of this kind of provision. So, Madam, I support the introduction of this Bill because I feel that such a Bill does exists. I am sure that Members on all sides of this House will agree that we cannot allow insurgency and terrorism to grow, and therefore, in the present situation we do need some extraordinary provisions to deal with these extraordinary situations. It is not only the terrorists who come from across the border, but there are also extremists within the country. I would like to tell my friends here that those why revelled at the demolition of a mosque or in the burning of a shrine also come in the same category. After all, when these kinds of things are done by certain sections of people, then you must have some extraordinary laws to deal with it. Therefore, Madam, there are certain corrections that could be made. There are certain safeguards that I would like to have, but at the present juncture, I don't think that we can do without a law like this. Therefore, I welcome it and I would like to appeal to the hon. Minister for Home Affairs to give due consideration to the points which I have raised and I would appeal to my friends and colleagues in all sides of this House to support this Bill.

**मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी :** शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहेबा । टाडा चंद समय का मेहमान है । पूरे मुल्क की लानत मलामत का कफन पहन कर आखरी हिचकी ले रहा है । हिन्दुस्तान भर की तमाम इन्सानियत दोस्त तंजीमो ने जिस शिद्दत के साथ इस काले कानून की मुखालफत की उससे ज्यादा शिद्दत के साथ हमारी मरकजी हकूमत ने इस काले कानून की हिमायत में, इसके डिफेंस में वकालत भी यहां की । आज मालूम नहीं कितने बेकसूर लोग इस टाडा के जुल्मोसितम का शिकार होकर मौत की गोद में जा चुके हैं और अब वह टाडा यहां से जा रहा है तो उनकी रूहें कह रही हैं

*के दामन को लिए हाथ में कहता है यह कातिल*
*कब तक इसे धोया करूं लाली नहीं जाती*

उन बेकसूर इन्सानों के खून की लाली उस हुकुमत के दामन पर हमेशा रहेगी जिस हुकुमत को मजलूमों का खून, मजलूमों का कत्ल दिखलाया गया मगर उस हुकुमत ने नोटिस नहीं लिया । आज बेपनाह अवामी दबाव के तहत हुकूमत इस नतीजे को पहुंच चुकी है कि अब अगर हमने इस कानून को वापस नहीं लिया तो अब तक तो लोग टाडा के जरिए मौत के घाट उतरे और टाडा के जरिए बेशुमार बेकसूर इन्सानों को तबाह और बरबाद किया गया, लेकिन अब खुद यही टाडा की तलवार हमारे गले का ओजार बन जाएगी ।

"तो की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा,
हाय उस जूदे पशेमान का पशेमान होना" ।

मुल्क की तारीख में टाडा के जरिए हुए जुल्मों सितम की कहानी हर दौर में दोहराई जाती रहेगी । जब भी कोई जुल्म होगा जब भी कोई जालिमाना कानून इन्सानियत की पुश्त पर खंजर

घोषेगा तो दलायल के तौर पर इस दौर के इस जालिमाना कानून का भी नाम हर उस दौर में लिया जाएगा जिस जमाने में इस जालिमाना कानून को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में हक व सदाकत की आवाज उठेगी । अब इस कानून को खत्म करने के साथ-साथ इसके बदले में एक नया बिल, एक नया कानून लाया जा रहा है । यह नया कानून टाडा वाले कानून के मुकाबले में कुछ कम नुकसानदेह है मगर अवामी दुश्मनी से यह भी भरा हुआ है । इसमें भी जुल्म को पनाह देने की काफी दफात मौजूद है ।

मैं जनता दल का मैम्बर हूं । हम लोग लोकशाही में और हयूमन राइट्स में यकीन रखते हैं । जो कानून लाया जा रहा है, मेरी गुजारिश है कि इसमें जल्दबाजी न की जाए । यह सिर्फ अक्लियतों का मसला नहीं है । अक्लियतों को तो पामाल इस कानून के जरिए किस तरह से किया गया है शायद कानून की दुनिया में इतनी बदतरीन मिसाल न मिल सके । मगर इस कानून के जरिए सिर्फ अक्लियतें ही तबाह नहीं हुई हैं बल्कि इससे पहले लेबर लीडर्स भी इस जुल्मों सितम का इसी कानून के तहत शिकार हो चुके हैं खास तौर पर गुजरात में लेबर लीडरों को इसी कानून का बेजा निशाना बनाया गया है । जल्दबाजी में ऐसा कानून मत लाइए जो पिछले कानून के मुकाबले में भी बद से बदतर साबित हो । आप यह बिल पास करने से पहले किसी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के हवाले कीजिए ताकि तफसील से इसकी जांच हो सके और मुल्क के अवाम को जुल्मों सितम का निशाना होने से बचाया जा सके । जहां तक आतंकवाद और उसके खिलाफ मुल्क को बचाने का सवाल है तो हमारे पेश्तर मेम्बरान ने अपनी जिस राय का इजहार किया है मैं भी पुख्ता यकीन रखता हूं कि हिंदुस्तान का हर वफादार शहरी चाहे हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि ईसाई, किसी भी आतंकवाद को पनपने की इजाजत मुल्क में नहीं दे सकता । मैं सख्त से सख्त कानून के हक में हूं । अगर मुल्क के साथ कहीं गद्दारी की जाती हो, ऐसे गद्दार से क्यों न जीने का हक भी छीन लिया जाय, अगर इस तरह का भी कानून पास होता है तो वह मुल्क के हक में बेहतर है इसलिए कि फर्ज के लिए उसूल को कुरबान नहीं किया जा सकता, उसूल के लिए फर्ज की कुरबानी अगर दी जाती हो तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस कानून पर आप नजरेसानी कीजिए, अपने बिल पर नजरे सानी कीजिए और इस बिल को अभी पार्लियामेंट से बाहर ही रखिए तो बेहतर होगा ।

ऐसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ गयी है । दुनिया भर के कवानीन मौजूद हैं जिनके जरिए आप मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंच सकते हैं । अगर वे सारे कवानीन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल नहीं करते, किसी नये कानून की बदरजए मजबूरी आपको जरूरत ही पड़ गयी है तो फिर कानून खुदा के लिए ऐसा लाइए जो मुल्क की अवाम के लिए दुश्मन साबित न हो और मुल्क की पुलिस के लिए रिश्वत का सामान न बने, मुल्क की दलाली करने वालों को मौत के सौदागर बनने का संकेत न दे । मौत के सौदागर बनने वाले कानून की हम मुखालिफत करते हैं । इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی (اتر پردیش): شکریہ۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب۔ ٹاڈا چند لمحوں کا اور مہمان ہے۔ پورے ملک کی لعنت ملامت کا کفن پہن کر آخری ہچکی لے رہا ہے۔ ہندوستان بھر کی تمام انسانیت دوست تنظیموں نے جس شدت کے ساتھ اس کالے قانون کی مخالفت کی اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہماری مرکزی حکومت نے اس کالے قانون کی حمایت میں۔ اس کے ڈیفینس میں وکالتیں بھی یہاں کیں۔ آج معلوم نہیں کتنے بے قصور لوگ اس ٹاڈا کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر موت کی گود میں جا چکے ہیں اور اب جب یہ ٹاڈا یہاں سے جا رہا ہے تو ان کی روحیں کہہ رہی ہیں کہ۔

دامن کو تیرے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل
کب تک اسے دھویا کرو لالی نہیں جاتی۔

ان بے قصور انسانوں کی لالی اس حکومت کے دامن پر ہمیشہ رہے گی۔ جس حکومت کو مظلوموں کا خون۔ مظلوموں کا قاتل دکھلا دیا گیا۔ مگر اس حکومت نے نوٹس نہیں لیا۔ آج سب پارٹی کے دباؤ کے تحت حکومت اس نتیجہ پر پہنچ چکی ہے کہ اب اگر ہم نے اس قانون کو واپس نہیں لیا تو اب تک تو لوگ "ٹاڈا" کے ذریعہ موت کے گھاٹ اترے اور ٹاڈا کے ذریعہ بے شمار بے قصور انسانوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ لیکن اب خود یہی ٹاڈا کی تلوار ہمارے گلے کا ہار بن جائیگی۔

کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ
ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔

ملک کی تاریخ میں ٹاڈا کے ذریعے ظلم و ستم کی کہانی ہر دور میں دوہرائی جاتی رہیگی۔ جب بھی کوئی ظلم ہوگا۔ جب بھی ظالمانہ قانون انسانیت کی پیٹھ پر خنجر گھونپیگا تو دلالی کے طور پر اس دور کے اس ظالمانہ قانون کا بھی نام ہو اس دور میں لیا جائیگا۔ جس زمانے میں اس ظالمانہ قانون کو ختم کرنے کیلئے پارلیمنٹ میں حق و صداقت کی آواز اٹھیگی۔ اب اس قانون کو ختم کرنے کے ساتھ اسکے بدلے ایک نیا بل۔ ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے۔ یہ نیا قانون ٹاڈا والے قانون کے مقابلے میں کچھ کم نقصان دہ ہے مگر عوام دشمنی اس میں بھی بھرا ہوا ہے۔ اسمیں بھی ظلم کو پناہ دینے کی کافی طاقت موجود ہے۔

میں جنتا دل کا ممبر ہوں۔ ہم لوگ ایک شمار اور جستجو من ریفنس میں یقین رکھتے ہیں۔ جو قانون لایا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اسمیں جلد بازی نہ کی جائے۔ یہ صرف اقلیتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔

†[ ] Transliteration in Arabic script.

اقلیتوں کو تو پامال اس قانون کے ذریعے
کس طرح سے کیا گیا ہے شاید قانون کی دنیا
میں اتنی بدترین مثال نہ مل سکے - مگر اس
قانون کے ذریعے صرف اقلیتیں ہی تباہ
نہیں ہوئی ہیں - بلکہ ہمارے یہاں کے بیشتر ہندو
بھی اس ظلم و ستم کا اسی قانون کے تحت
شکار ہو چکے ہیں - خاص طور پر گجرات
میں لیبر لیڈروں کو اسی قانون کا بےجا
نشانہ بنایا گیا - جبکہ ان میں ایسا قانون
مت لایئے - جو پہلے قانون کے مقابلے میں
بھی بد سے بدتر ثابت ہو - آپ یہ بل
پاس کرنے سے پہلے کسی جوائنٹ سلیکٹ
کمیٹی کے حوالے کیجئے تاکہ تفصیل سے
اس کی جانچ ہو سکے اور ملک کے عوام
کو ظلم و ستم کا نشانہ ہونے سے بچایا
جا سکے - جہاں تک آتنک واد سے نمٹنے
ملک کو بچانے کا سوال ہے - تو ہمارے بیشتر
ممبران نے اپنی جس رائے کا اظہار کیا ہے میں
بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا
ہر شہری چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان
سکھ ہو کہ عیسائی - کسی بھی آتنک واد کو
پنپنے کی اجازت ملک میں نہیں دے سکتا
میں سخت سے سخت قانون کے حق
میں ہوں - اگر ملک کے ساتھ کہیں غداری
کی جاتی ہو - ایسے غدار سے کیوں نہ جینے

کا حق بھی چھین لیا جائے - اگر اس طرح کا بھی
قانون پاس ہوتا ہے تو وہ ملک کے حق
میں بہتر ہے اسلئے کہ فرد کے لئے آدھا ملک قربان
نہیں کیا جا سکتا - اصول کیلئے فرد کی قربانی اگر
دی جاتی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے
اس لئے میری گزارش ہے کہ اس قانون پر آپ
نظر ثانی رکھئے تو بہتر ہوگا -

ایسے قانون کی ضرورت ہی کیوں پڑ رہی
ہے - دنیا بھر کے قوانین موجود ہیں -
جنکے ذریعے آپ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا
سکتے ہیں - اگر وہ سارے قوانین مجرموں
کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیابی حاصل
نہیں کرتے - کسی نئے قانون کی بہت ہی
آپکو ضرورت ہی پڑ گئی ہے تو پھر قانون ایسا
لائیے جو ملک کی عوام کے لئے
دشمن ثابت نہ ہو اور ملک کی پولیس
کے لئے رشوت کا سامان نہ بنے -
ملک کی دلالی کرنے والوں کو موت
کے سوا اگر سزا کا سنگین نہ دیں -
موت کے سوا اگر کچھ نہ دے تو قانون
کی ہم مخالفت کرتے ہیں - انہیں
جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم
کرتا ہوں -

"ختم شد"

†[ ] Transliteration in Arabic script.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All the speakers are over. I would now call the Home Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam, I must thank all the Members who have contributed to a very lively debate on the Criminal Law Amendment Bill, 1995. As many as 48 amendments have been proposed. I have gone through each of these very carefully. I can well understand the concern of the hon. Members in striving to achieve a balance between the requirements of the security of the State and individual liberties of its citizens. I am accepting some of the suggestions which arose during the course of the discussion. It would not be possible for me to adopt any of the amendments as suggested *in toto*. I have accepted the pith and substance of some of the suggestions and have incorporated them in suitable phraseology at the relevant places in the Bill. The important proposals I have accepted relate to amending clauses 1, 2 and 3 and clause 4 clause 17; clause 18; clause 21(2) and clause 24 (2). The substance of the change of clause 3 is that only such acts of terrorism which are intended to affect the unity, integrity, security and sovereignty of India or which affect people or sections of people, are made punishable. Hon. Members, you will be interested to know that similar kind of amendments were also given by other political parties. So, it is not any particular party that has given these amendments and an impression should not be created...

SHRI S. JAIPAL REDDY: We have not got a copy of these amendments.

SHRI S. B. CHAVAN: Yes, Yes, a consolidated list of the amendments is there; thereafter for official amendments; also. I have given a notice... (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am talking of the official amendments.

SHRI S. B. CHAVAN: For official amendments also I have given a notice. I do not know whether it has been circulated or not. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will just explain to you, Mr. Home Minister, can I just say something? The Secretariat got the copy, the original copy at 4.15. That is why we were delaying the speeches also so that we get enough copies.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Then the cat will be out of the bag.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I did not want the cat to be out of the bag. The speeches were good enough. But, apart from that, we had given time for voting at four. We delayed it a little bit because we wanted the copies of the amendments to be ready for the Members to read because I did not want to start the voting till all the Members had the copies. There are ten pages of it and photocopies have to be made ready for all the Members. It is quite a marathon job to do within 45 minutes. But the Secretariat has been able to give some.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, if the Government is feeling serious, let them have a talk with the Opposition. Let them postpone the voting till tomorrow... (*Interruptions*)... We have the answer. Even this reasonable suggesteion is not acceptable... (*Interruptions*)... Okay, we understand it. We now understand the attitude of the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is not need to have... (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, my suggestion is... (*Interruptions*)... Madam, what the Home Minister is saying, we are happy that he has mentioned that he has tried to accommodate what we suggested by way

of amendments. But the problem is this. Until we see it in a written form, we cannot form an opinion.. (*Interruptions*)... What is this, Madam?... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has a right to speak, I agree. In the spirit of the parliamentary democracy, let him say what he wants to say. The Home Minister was having meetings the whole day and I was a witness to it. He had a lot of negotiations, talking and discussion. He has come with these amendments. So, if the Members are saying something we can always find a via-media.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, what I suggest is this. Let us have it in a written form. It is a law... (*Interruptions*)... It is going to be a law... (*Interruptions*).. We need to go through it clause by clause. Otherwise, the difficulty is this. We as a party, have to consult our members, we have to consult the other parties also before we give a decision on this.

Before we come to a decision on this, what I am suggesting, Madam, is this. Now that the Home Minister has given this substantial amendment which he thinks will accommodate what we wanted to do, what I suggest is, Madam, you give us some time; either you give us one hour today, we can go for tea or something or take it up tomorrow so that we can come back with a considered opinion on this, Madam. If you force us to go for a division on this, we have to stick to the old decision.

5 P. M.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One by one. Let us not generate heat on such a thing. It is a technical problem because the Secretariat cannot produce so many copies within 45 minutes.

DR. BIPLAB DASGUPTA: If that is the case, I suggest, Madam, let the copies be distributed to all Members and at least an hour should be given for them to study and then to come back prepared with whatever they have in mind. Otherwise Madam, it will be a hasty job and it will unnecessarily create difficulties for us. What I am saying is, in the right spirit the Home Minister should allow this time to us.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Madam, I also support his idea. We should not rush with this matter. It is a serious thing we are doing. It is going to be a permanent law on the Statute Book. I, therefore, appeal to the ruling party, let us try to do as much as possible so that there is a consensus; give us time. In one day heavens will not fall. So you should extend it and have the cooperation of all.

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : उपसभापति जी यह 6 पेज का विवरण है आखिर पढ़ने के लिए कुछ समय तो चाहिए हम लोगों को ?

**उपसभापति** : होम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए ।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, in fact, the amendments which have been now given to the House, they are as per the discussions that we had with the Members of the Opposition. I can understand, some time may be given, I have no objection, let my reply be over and thereafter you can adjourn the House for half an hour. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. Let him first finish his reply, meanwhile, let us hope that we will get enough copies.

SHRI P. UPENDRA: Leaders should be given more copies. (*Interruptions*)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. every Member will get a copy. do not be agitated.

SHRI S. B. CHAVAN: The important proposals I have accepted relate to amending clauses 1, 2 and 3, clause 4, clause 17, clause 18, clause 21(2) and clause 24(2). The sustance of the change in clause 3 is that only such acts of terrorism which are intended to affect the unity, integrity, security and sovereignty of India or which affects people or sections of people are made punishable. I have introduced the ingredients of *mens rea* or knowledge in various sub-clauses of clause 3. The definition of clause 4 has been redrafted to clearly bring out that it is only those who question the territorial integrity or sovereignty of the nation who will be booked under this Bill. Members will appreciate that with these changes the proposed law becomes highly specialised in the sense that it could be applied only in the rarest of the rare cases where the unity, integrity, security and sovereignty of the nation is sought to be challenged or affected. Due to this, I am also proposing an official amendment providing for an appeal from the Special Court to the Supreme Court since it is essential that dilatory legal proceedings are avoided. For these very reasons I have also suggested an amendment to clause 24(2), deleting the words "threatening to arrest" and providing a higher punishment for two years for malicious actions of police officers. I am fully conscious of the anxiety and concern expressed by all the hon. Members about the fate of the pending cases. In this connection, I wish to reiterate that all the Governments, of States and Union Territories will be requested to fully activate the review Committees and ensure that they move frequently and periodically. Further, there must be enforced a time-bound approach to the grant of relief to such of those innocent persons who have been wrongfully victimised. Let me assure this august House that these Committees, though they have no statutory basis, owe their existence to the judgement of the highest court of the land and therefore, have their own significance, importance and status. As I was mentioning yesterday, a number of cases have been reviewed and the TADA provisions in respect of over 5,000 persons dropped. I assure this august House that this exercise would be further geared up and accelerated so as to provide expeditious and speedy relief wherever there has been a miscarriage of justice. Apart from the Ministry of Home Affairs, the National Human Rights Commission is also actively associated with this item of work and is periodically reviewing the progress made by the Review Committees. I reiterate my resolve to maintain a constant pressure on the State and Union Territory Governments to ensure relief and succour to those who have unjustifiably been wronged.

Madam, I commend the Bill for the consideration and approval of the House.

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think he has explained it quite well. (*Interruptions*)

SHRI M. A. BABY: Madam, we have not received a copy of the amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can read it. (*Interruptions*)

SHRI M. A. BABY: Copies have not been given. (*Interruptions*). It is the right of the individual Members to get a copy of the amendments (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am on a point of order, Madam. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think everybody has been given. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am on a point of order, Madam. My

point is this. If the Members, individually, do not get a copy of the amendments which the hon. Home Minister has proposed, how is it possible for the Members—not the party leaders—to apply their mind? We are here, individually, as Members of this House. If the individual Members of the House do not get a copy of the amendments which the hon. Home Minister has proposed, how is it possible for them to take a view on the amendments? Therefore, I draw your attention to this and I suggest that till each Member gets a copy of the amendmens, the proceedings of the House may kinldy be adjourned

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think copies have been distributed. (*Interruptions*),

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No, Madam. We have not got it.

SHRI M. A. BABY: We have to apply our mind. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: They are coming. (*Interruptions*) Please sit down. They are coming. (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, the point made by Mr. Gurudas Das Gupta is very important because the amendments tabled by Shri S. B. Chavan do not reflect the statements which he has made just now. Let me refer to one amendment. Earlier, an appeal would lie to the High Court. Now he says that it would lie only to the Supreme Court. He has made a concession to the B.J.P. and not to those who want the victims to be saved from the possible misuse of this law. Therefore, until each Member received a copy of the amendments, the House cannot consider them properly. (*Interruptions*).

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I have raised a point of order. It is impossible for the Members to take a view on the amendments until Members are given a copy of the amendments. I would like you to give your ruling on this, Madam. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM: We cannot borrow the confusion of the Government. (*Interruptions*)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a matter of right.

SHRI MD. SALIM : History would not forgive us. We should not pass this without going through it carefully.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a matter of the right of the Members to get a copy of the amendments. (*Interruptions*)

SHRI P. UPENDRA: Madam, I suggest that you adjourn the House till 6 O' clock. We can take the vote at 6 O' clock. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not want to strain my throat when there is crooss-talk going on (*Interruptions*)

SHRI MD SALIM: Madam, please adjourn the House.

We can continue tomorrow.

THE DEPUTY CHIARMAN: Not tomorrow, but today.

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: Why do you hurry? You may be in a hurry, but we are not. The country is not in a hurry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. Order.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, इतनी जल्दी क्या है, हम कल मिल सकते हैं ? . . . (व्यवधान) . . .

†شری محمد سلیم: میڈم اتنی جلدی کیا ہے ہم کل مل سکتے ہیں ۔۔۔ مداخلت ۔۔۔

श्री राज बब्बर : समझ में नहीं आता, क्या बोलते हैं। . . . (व्यवधान) . . .

उपसभापति : जरा एक मिनट बैठिए। . . . (व्यवधान) . . . चव्हाण साहब की बात सुन लेने दीजिए।

†[ ] Transliteration in Arabic script.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, I have no objection if the House is adjourned for about one hour.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : कल के लिए रखिए, मेरा जो अमेंडमेंट है, मुझे इसको पढ़ना भी पडेगा ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is not a question of time. (*Interruptions*)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have followed it. I have understood it.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैडम, कल के लिए रखिए ।... (व्यवधान) ... मैडम् मेरा निवेदन यह है कि मुझे इसको पढ़ने के लिए समय चाहिए और इसको पढ़ने का ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम, मेरा एक सवाल है । ... (व्यवधान) ...

श्री राज बब्बर : यह अंग्रेजी में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है । ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं । ... (व्यवधान) ... मैडम, हम जानना चाहते हैं कि अमेंडमेंट पर हम लोगों को अमेंडमेंट देने का अधिकार है या नहीं है ? ... (व्यवधान) ...

We have the right to get the copies. We have the fundamental right to get the copies... ( *Interrupions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't behave like this.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : मैडम, मेरी बात सुनिए । मैं यह नहीं कहता कि एक घंटे के लिए किया जाए या एक दिन के लिए किया जाए, मैं चाहता हूं कि हिन्दी कापीज नहीं आई है, उनको पहले सदन में मंगाइए, वे बहुत जरूरी हैं । ... (व्यवधान) ... मैडम, ... (व्यवधान) ...

उपसभापति : मुझे मालूम है हिन्दी की बात । ... (व्यवधान) ...

श्री शंकर दयाल सिंह : मैडम, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि जब आप एक घंटे के लिए हाउस को एडजार्न कर रहीं हैं तो उसी बीच में हिन्दी की भी कापियां आ जाएं तो अच्छा होगा । मैडम, यही मुझे आपसे कहना है । ... (व्यवधान) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I have followed it. Please sit down... (*Interruptions*)

एक मिनट बैठिए । बैठिए ना ।

Mr. Upendra, please listen to me. Sibtey Razi Saheb, may I have your attention please?

I can see that Members want to read the amendment proposed by the Home Minister, Mr. Chavan. I believe that now atleast copies in English have been circulated. I hope by the time we meet after one hour, copies in Hindi will be available... (*Interruptions*)

I have not finished. Sit down. I have not finished. Sit down. I have not finished yet. Please sit down..(*Interruptions*)

They will try to get the Hindi copies. It has to be translated. A correct translation has to come. They cannot bring a wrong translation to the House.

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : मैडम, हिन्दी वालों को भी समझना है या नहीं ?

462

†[ مولانا عبید اللہ خان اعظمی: میڈم، ہندی والوں کو بھی سمجھنا ہے یا نہیں؟ ]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't interrupt me. This is not the way. When I am speaking please don't get up like this. I can understand the sense. I take care of Hindi more than you do please.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : इसका तो कोई हल नहीं है, 14 लैंग्वेज में चाहिए । ... (व्यवधान) ...

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी : 14 लैंग्वेज की बात मत कीजिए, हिन्दी में चाहिए । ... (व्यवधान) ...

†[ ] Transliteration in Arabic script.

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: ہر لینگویج کی بات مت کیجیے۔ صفوں میں چاہیئے]

**श्री मोहम्मद सलीम** : हम 14 की 14 लैंग्वेज का सम्मान करते हैं।... (व्यवधान).

†[شری محمد سلیم: ہم 14 کی 14 لینگویج کا سمّان کرتے ہیں۔۔۔ مداخلت]

श्रीमती कमला सिन्हा : मैडम, ये हिन्दी का अपमान कर रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kamla Sinha Ji, please be serious about it. I am very serious about this legislation because it is going to affect the lives of the people. If the House is serious about it, I will adjourn it for one hour. The Members can read it. I will try to see that Hindi copies are made available. If the Hindi copies are not available, I cannot help it. It is not in my hands. It is the Home Ministry, which has to supply copies. Our Secretariat will only distribute it. That is all.

The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned at sixteen minutes past five of the clock.

The House reassembled at sixteen minutes past six of the clock. The DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

**श्री चतुरानन मिश्र** : मैडम, मैंने एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था ... (**व्यवधान**) ...

**उपसभापति** : हिन्दी की कापियां अभी आई हैं।

**श्री शंकर दयाल सिंह** : बहुत बहुत धन्यवाद। हिन्दी कापी मिल गई हैं मैडम, मैं बहुत संतुष्ट हूं। बहुत धन्यवाद दे रहा हूं।

**श्री चतुरानन मिश्र** : मैंने एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया था। मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि गवर्नमेंट ... (**व्यवधान**) ...

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, I am on a point of order.

**उपसभापति** : चतुरानन जी की बात सुन लें फिर आपकी बात सुनेंगे।

**श्री चतुरानन मिश्र** : गवर्नमेंट की साइड से जो अमेंडमेंट दिया गया है अभी एक घंटा पहले, उसमें हम लोगों को अमेंडमेंट देने का अधिकार है और इतने कम समय में हम लोग अपना माइंड नहीं ऐप्लाई कर सके इसलिए कल तक के लिए हम लोगों को समय दिया जाए कि कल हम लोग अपने अपने अमेंडमेंट सबमिट करें। यह हमारा अधिकार है और हम चाहते हैं कि आप हमारे इस अधिकार की रक्षा करें।

**श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र)** : आपने सवा पांच बजे क्यों नहीं बोला?

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : मैं चतुरानन मिश्र जी की बात का मैं समर्थन करता हूं और इस सदन को कल तक के लिए स्थगित किया जाए।

**उपसभापति** : कमला सिन्हा ... (**व्यवधान**) ... नहीं उन्होंने कहा था, इस शोर में मुझे सुनाई नहीं दिया I did not hear.

**श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : माननीय उपसभापति जी, चतुरानन जी की बात का मैं समर्थन करता हूं और इस अमेंडमेंट को पढ़ने के लिए, अपना दिमाग ऐप्लाई करने के लिए और दूसरे अमेंडमेंट बनाने के लिए इस सदन को कल तक के लिए ऐडजर्न किया जाए। ... (**व्यवधान**) ...

**उपसभापति** : हिन्दी तो आ गई।

**एक माननीय सदस्य** : वह छह पेज में है।

**उपसभापति** : अब हिन्दी का सवाल तो पूरा हो गया है।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, I am on a point of order.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

हिन्दी प्रति अभी बांटी गई ... (व्यवधान) ... हिन्दी प्रति अभी बांटी गई जो हिन्दी पढ़ने वाले सदस्य हैं उनको, तो इसको पढ़ना भी होगा, कुछ समझना भी होगा और मूल कानून के साथ मिला कर देखना भी होगा और तभी कोई बात भी कर सकते हैं, कोई संशोधन भी दे सकते हैं। इसलिए मेरा आप से अनुरोध होगा कि इस सदन की कार्यवाही कल तक के लिए आप स्थगित करें।

उपसभापति: होम मिनिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं। सुनें, सुनें वह क्या कह रहे हैं? ... (व्यवधान) .. सुनने दीजिए।

SHRI S. B. CHAVAN: Madam Deputy Chairman, I have been discussing with the leaders of the Opposition and they have asked me that the discussion or voting on the Criminal Law Amendment Bill, 1995 should be postponed to tomorrow so that they may have sufficient time to study my amendments and make up their mind. I have no objection to your adjourning the House till tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Tomorrow, at what time? ... (*Interrupteions*) ...Tomorrow, 12 o'clock.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, tomorrow immediately after the Question Hour... (*Interruppions*)... Immediately after the Question Hour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. So, tomorrow immediately after the Question Hour, we will take up further consideration, amendments and voting on the Criminal Law Amendment Bill, 1995. Now, the House is adjourned till tomorrow, 11 o'clock.

The House then adjourned at twenty minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 24th May, 1995.